




राजस्थान सरकार

मालपुरा मास्टर प्लान 2010 –2031



कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर
नगर नियोजन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

आभार

मालपुरा नगर के सुनियोजित विकास को गति प्रदान करने के क्रम में मालपुरा के विशिष्ट जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध व गणमान्य नागरिकों तथा नगरीय विकास को क्रियान्वित करने में सहयोग देने वाले उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपना विशेष आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस नगर की विकास योजना में समर्पित किया है ।

सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, जिला कलक्टर टोंक , अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मालपुरा का विषेश आभारी हूँ जिन्होंने मास्टर प्लान को तैयार करने में समय समय पर निरन्तर सहयोग प्रदान किया है।

मास्टर प्लान को तैयार करने में विभिन्न स्तरों पर हुए सभी सर्वेक्षणों तथा अन्य सूचनाओं को एकत्रित करना आवश्यक होता है । इस विशेष कार्य में विभिन्न संबंधित सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत वितरण निगम, उद्योग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, शिक्षा, वन, कृषि उपज मण्डी एवं चिकित्सा आदि विभागों तथा अन्य निजी संस्थाओं ने अपना सतत् सहयोग प्रदान किया है । मैं उन सभी व्यक्तियों, संस्थाओं, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने मास्टर प्लान बनाये जाने में सहयोग प्रदान किया है एवं आशा हैं कि भविष्य में शहर का विकास मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप करने में अपना सम्पूर्ण सहयोग प्रदान करते रहेंगे ।



(डी. एस. बारेठ)
वरिष्ठ नगर नियोजक,
अजमेर जोन, अजमेर

विषय –सूची

क्रम संख्या	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या T
1.0	परिचय	1
2.0	विद्यमान विशेषताएं	4
2.1	भौतिक स्वरूप और जलवायु	4
2.2	क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य	4
2.3	ऐतिहासिक	5
2.4	जनांकिकी	5
2.5	व्यावसायिक संरचना	7
2.6	विद्यमान भू-उपयोग	8
	2.6.1 आवासीय	8
	2.6.1 (अ) आवासन	8
	2.6.1 (ब) कच्ची बस्तियां	9
	2.6.2 वाणिज्यिक	9
	2.6.3 औद्योगिक	10
	2.6.4 सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय	10
	2.6.5 आमोद-प्रमोद	11
	2.6.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं	11
	2.6.6 (अ) शैक्षणिक सुविधाएं	12
	2.6.6 (ब) चिकित्सा सुविधाएं	13
	2.6.6 (स) सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल	13
	2.6.6 (द) अन्य सामुदायिक सुविधाएं	14
	2.6.6 (य) जनोपयोगी सुविधाएं	14
	2.6.6 (य) (i) जलापूर्ति	14
	2.6.6 (य) (ii) जल मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन	15
	2.6.6 (य) (iii) विद्युत आपूर्ति	16
	2.6.6 (य) (iv) श्मशान एवं कब्रिस्तान	16
	2.6.7 परिसंचरण	16
	2.6.7 (अ) यातायात व्यवस्था	16
	2.6.7 (ब) बस एवं ट्रक टर्मिनल	17
	2.6.7 (स) रेल सेवा	17
3.0	नियोजन की संकल्पना	18
3.1	नियोजन की नीतियां	19

3.2	नियोजन के सिद्धान्त	19
4.0	भावी आकार	21
4.1	जनांकिकी	21
4.2	व्यावसायिक संरचना	21
4.3	नगरीय क्षेत्र	22
4.4	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	22
4.5	योजना क्षेत्र	23
	(अ) पुरानी आबादी योजना क्षेत्र	24
	(ब) बृजलालनगर योजना क्षेत्र	24
	(स) दादाबाडी योजना क्षेत्र	24
	(द) परिधि नियन्त्रण पट्टी	25
5.0	भू-उपयोग योजना	26
5.1	आवासीय	27
5.1 (1)	आवासन	27
5.1 (2)	इनफॉर्मल सेक्टर के लिए आवास	28
5.2	वाणिज्यिक	29
	5.2 (1) विद्यमान शहरी केन्द्र एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां	30
	5.2 (2) स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र (सी.सी.) एवं शॉपिंग सेन्टर	30
	5.2 (3) विशिष्ट एवं थोक बाजार	30
	5.2 (4) भण्डारण एवं गोदाम	31
5.3	औद्योगिक	31
5.4	सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय	31
5.5	आमोद-प्रमोद	32
5.6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं	32
	5.6 (1) शैक्षणिक सुविधाएं	33
	5.6 (2) चिकित्सा सुविधाएं	33
	5.6 (3) सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल	34
	5.6 (4) अन्य सामुदायिक सुविधाएं	34
	5.6 (5) जनोपयोगी सुविधाएं	34
	5.6 (5) (अ) जलापूर्ति	35
	5.6 (5) (ब) जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन	35
	5.6 (5) (स) विद्युत आपूर्ति	36
	5.6 (6) श्मशान एवं कब्रिस्तान	36

5.7	परिसंचरण		36
	5.7 (1)	प्रस्तावित यातायात संरचना	37
		5.7 (1) (अ) सड़कों का मार्गाधिकार एवं सुधार	37
		5.7 (1) (ब) प्रस्तावित चौराहा एवं चौराहा सुधार	38
		5.7 (1) (स) पार्किंग व्यवस्था	39
	5.7 (2)	बस एवं ट्रक टर्मिनल	39
5.8	परिधि नियंत्रण पट्टी		40
5.9	पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण		40
6.0	मास्टर प्लान का क्रियान्वयन		41
	6.1	वर्तमान आधार	41
	6.2	प्रस्तावित आधार	41
	6.3	जन-सहयोग एवं जन सहभागिता	43
	6.4	भू-उपयोग, अंकन एवं भूमि अवाप्ति	43
	6.5	योजना क्रियान्वयन	43
	6.6	उपसंहार	44
परिशिष्ट :-	1	राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (मास्टर प्लान)	45
	2	राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण	47
	3	नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना दिनांक 27 अगस्त 2010	49
	4	राजस्थान नगर सुधार अधिनियम-1959 की धारा 7(1) के तहत अधिसूचना दिनांक 16.04.2012	50

तालिका –सूची

तालिका सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
तालिका –1	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, मालपुरा-1901-2010	6
तालिका –2	व्यावसायिक संरचना, मालपुरा –2001-2010	7
तालिका –3	विद्यमान भू-उपयोग, मालपुरा –2010	8
तालिका –4	औद्योगिक इकाइयां, मालपुरा –2010	10
तालिका –5	राजकीय एवं अर्द्ध-राजकीय कार्यालय, मालपुरा –2010	11
तालिका –6	शैक्षणिक संरचना मालपुरा –2010	12
तालिका –7	अन्य शैक्षणिक सुविधाएं मालपुरा –2010	13
तालिका –8	चिकित्सा सुविधाएं, मालपुरा –2010	13
तालिका –9	जलापूर्ति, मालपुरा-2010	15
तालिका –10	विद्युत आपूर्ति मालपुरा –2010	16
तालिका –11	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमान, मालपुरा-1981-2031	21
तालिका –12	अनुमानित व्यावसायिक संरचना, मालपुरा 2010-2031	22
तालिका –13	योजना क्षेत्र, मालपुरा –2031	23
तालिका –14	प्रस्तावित भू-उपयोग, मालपुरा- 2031	27
तालिका –15	प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, मालपुरा- 2031	29
तालिका –16	अनुमानित शैक्षणिक संरचना, मालपुरा-2031	33
तालिका –17	विभिन्न मार्गों की प्रस्तावित मानक चौड़ाई, मालपुरा-2031	37
तालिका –18	विद्यमान एवं प्रस्तावित सड़क मार्गाधिकार, मालपुरा-2031	38
तालिका –19	प्रस्तावित प्रमुख चौराहा विकास, मालपुरा-2031	39

1

परिचय

मालपुरा, राजस्थान के टोंक जिले के उत्तर पश्चिम में स्थित महत्वपूर्ण नगर है। यह नगर राजस्थान की राजधानी जयपुर से 90 कि.मी, अजमेर सम्भाग से 110 कि.मी. एवं जिला मुख्यालय टोंक से 70 कि.मी. दूरी पर स्थित है। यह नगर राज्य राजमार्ग 12 व राज्य राजमार्ग 37 ए के संगम पर स्थित है।

प्राचीन समय से इस नगर का निर्माण 1216 ई. में राजा मालदेव ने करवाया था, जो राजा भोज परमार से सम्बन्ध रखते थे। राजा मालदेव के नाम पर ही इस नगर का नाम मालपुरा पड़ा। कस्बे में पुरातत्व महत्व का गढ़ स्थित है जो अब खण्डहर के रूप में तब्दील हो गया है। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल मुख्यतः बम्ब तालाब में शिवजी की छतरी, जैन समुदाय की दादाबाड़ी, जामा मस्जिद, कालूखां के महलों की मस्जिद आदि हैं। इस नगर से 15 कि.मी. की दूरी पर हिन्दूओं का विश्व प्रसिद्ध स्थल डिग्गी कल्याण जी का मन्दिर है, जहाँ पैदल यात्रा करने पर श्रद्धालुओं की मन्तें पूरी होने की मान्यता है। प्राचीन समय से ही यह कस्बा व्यापारिक केन्द्र के रूप में विख्यात रहा है। यहाँ विशेष रूप से केसर, कस्तूरी, सोना-चांदी मणिमाणक, गुड़, अफीम, रूई, ऊन आदि का व्यापार मुख्यरूप से होता था। वर्तमान में यहाँ मुख्य रूप से कृषि सम्बन्धित उपजों का व्यापार किया जा रहा है। यहाँ इस नगर के पश्य क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण कृषि मण्डी है, जहाँ से कृषि उत्पाद राज्य के अन्य जिलों एवं राज्यों के शहरों में भेजे जाते हैं।

मालपुरा की जनसंख्या वर्ष 1901 में 6502 थी अगले दो दशकों में ऋणात्मक वृद्धि होने के बाद, वर्ष 1921-31 के दशक में पुनः सकारात्मक वृद्धि से वर्ष 1941 में जनसंख्या 6615 दर्ज की गई। तुलनात्मक दृष्टि से वर्ष 1941 से अगले छः दशकों में नगर की जनसंख्या में लगभग चार गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 में इस नगर की जनसंख्या 27360 रही।

वर्तमान में इस कस्बे की जनसंख्या लगभग 34000 होने का आंकलन किया गया है। इस नगर का विद्यमान क्षेत्रफल 448.10 हैक्टेयर एवं इस आधार पर वर्तमान में नगर का जनसंख्या घनत्व 76 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर है।

आदि काल से ही कस्बे का विकास अनियोजित एवं अव्यवस्थित तरीके से हो रहा है। पुरानी बस्तियों में तंग सड़कें, अव्यवस्थित चौराहा, अनियोजित एवं अव्यवस्थित वाणिज्यिक स्थलों के विकास के साथ-साथ इन क्षेत्रों में आधारभूत जन-सुविधाओं का

अभाव होने के कारण यहाँ अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। शहर के बाहरी क्षेत्र में कृषि भूमि पर अनियोजित रूप में आवासीय विस्तार हो रहा है। इनमें भी जन सुविधाओं का नितान्त अभाव है एवं गंदे पानी की निकासी तथा जलप्रवाह प्रणाली की भी पूर्णतया कमी है, जिसके कारण आम जनता के सामान्य जन-जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कस्बे की बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं के अनुरूप तथा वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं की कमी को देखते हुए कस्बे के सुनियोजित विकास की आवश्यकता है।

उक्त संदर्भ में ही नगर नियोजन विभाग द्वारा शहर की भावी योजना बनाने के उद्देश्य से मालपुरा नगर का मास्टर प्लान बनाने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक प.10(220) न.वि.वि./3/2010 जयपुर, दिनांक 27 अगस्त, 2010 को एक अधिसूचना जारी कर मालपुरा राजस्व ग्राम सहित 5 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए मालपुरा नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर को अधिकृत किया गया। उक्त निर्देशों की पालना में मालपुरा नगर का मास्टर प्लान का यह प्रारूप तैयार किया गया है। यह मास्टर प्लान आगामी 20 वर्ष के लिए नगरीय क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों की आवश्यकताओं को दिशा निर्देश देता है।

कस्बे का मास्टर प्लान उसके भावी विकास को निर्देशन एवं वर्तमान समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से है तथा किया जाता है ताकि वहां के नागरिकों को स्वस्थ एवं सुखद जीवन का वातावरण प्राप्त हो सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि वहां के नागरिकों को इसे समझने एवं स्वतंत्र विचारों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलें। इसी बिन्दू को दृष्टिगत रखते हुए नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 5(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु इन शहरों का संयुक्त मास्टर प्लान प्रारूप प्रकाशित किया गया ताकि इन शहरों के नागरिक स्वतंत्र विचार अभिव्यक्त कर अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकें। प्रारूप मास्टर प्लान में दिये गये प्रस्तावों के सम्बन्ध में सभ प्रकार की आपत्तियों पर विचार-विमर्श किया गया।

मालपुरा मास्टर प्लान के प्रारूप पर 155 आपत्ति/सुझाव पत्र प्राप्त हुए। जिनके अन्तर्गत कुल 363 बिन्दुओं पर आपत्ति/सुझाव दर्ज किये गये। सभी आपत्ति/सुझावों का विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण एवं स्थल निरीक्षण कर जांच के उपरान्त 06 आपत्ति/सुझाव स्वीकृत योग्य, 00 आपत्ति/सुझाव आंशिक स्वीकृत योग्य, 164 आपत्ति/सुझाव अस्वीकृत योग्य तथा 193 आपत्ति/सुझाव में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होना पाया गया।

इस प्रकार मालपुरा प्लान के नगरीय क्षेत्र मानचित्र तथा भू-उपयोग मानचित्र-2031 में स्वीकृत, आंशिक स्वीकृत आपत्ति/सुझाव के मद्देनजर वांछित परिवर्तन करते हुए मास्टर प्लान अन्तिम रूप से तैयार कर राजस्थान नगर सुधार अधिनियम-1959 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रदत्त प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित है।



(दिलीप सिंह बारेठ)
वरिष्ठ नगर नियोजक,
अजमेर जोन, अजमेर।

यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम-1959 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक : प.10(220)नविवि/3/2010 जयपुर, दिनांक 16.4.2012 के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है (परिशिष्ट-4)

विद्यमान विशेषताएं

मालपुरा, टोंक जिले का उपखण्ड व नगर पालिका कस्बा है। इस कस्बे को तृतीय श्रेणी की नगर पालिका में वर्गीकृत किया गया है। यह कस्बा गौरवमय अतीत समेटे, राजस्थान की राजधानी जयपुर से 90 कि.मी. दूर दक्षिण की ओर, अजमेर से 110 कि.मी. दूर पूर्व की ओर व जिला मुख्यालय टोंक से 70 कि.मी. दूर उत्तर-पश्चिम की ओर समतल भूमि पर आवासीय है। नगर को सड़क मार्ग से प्रदेश व देश के अन्य नगरों से अच्छा सम्पर्क उपलब्ध है।

नगर में नगरपालिका एवं निजी विकासकर्ताओं की आवासीय कॉलोनियां व कुछ अन्य सुनियोजित क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में संकड़ी सड़कें, अनियोजित वाणिज्यिक स्थलों का विकास, मूलभूत सुविधाओं का अभाव, सड़कों की खस्ता स्थिति, जन सुविधाओं एवं स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होने के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कस्बे के बाहरी क्षेत्रों में भी विकास हुआ है, परन्तु मूलभूत जनसुविधाओं का अभाव है।

2.1 भौतिक स्वरूप और जलवायु

मालपुरा कस्बा भौगोलिक दृष्टि से 26.17° उत्तरी अक्षांश एवम 75.22° पूर्वी देशान्तर के मध्य समुद्रतल से 330 मी. की ऊँचाई पर स्थित है। मालपुरा नगर की आबादी का विकास बम्ब तालाब के सहारे-सहारे पश्चिम की ओर प्रारम्भ हुआ था। इस तालाब के बीच में शिवजी की छतरी, शिव मन्दिर व कुण्ड पुरातत्व महत्व के हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कस्बे में अधिकतम तापमान गर्मी में 45.30° सेन्टीग्रेट तथा न्यूनतम तापमान सर्दी में 1.80° सेन्टीग्रेट दर्ज किया गया है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 684.40 मि.मी. दर्ज की गई है। इस नगर में अधिकतम वर्षा माह जुलाई-अगस्त में होती है। नगर व उसके आसपास की भूमि पर 2-3 मी. गहराई तक काली चिकनी मिट्टी तथा इसके नीचे कंकरीली मोरीडायुक्त मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कृषि के लिए उपजाऊ है।

2.2 क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य

मालपुरा, टोंक जिले के उत्तरी-पश्चिमी भाग का महत्वपूर्ण नगर है। यह राज्य की राजधानी जयपुर से 90 कि.मी. संभागीय मुख्यालय अजमेर से 110 कि.मी., जिला मुख्यालय टोंक से 70 कि.मी., केकड़ी से 45 कि.मी. व सुप्रसिद्ध डिग्गी कल्याण जी के मन्दिर से 15 कि.मी. दूरी पर स्थित है। मालपुरा कस्बे में, नगर पालिका, पंचायत

समिति एवं तहसील मुख्यालय है। यह नगर राज्य राजमार्ग 12 (केकड़ी-जयपुर) व राज्य राजमार्ग 37 ए (टोडारायसिंह-दूदू) के संगम पर स्थित है। वृहद जिला सड़क न. 6 इस नगर में आकर मिलती है।

नगर की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। इस क्षेत्र की मिट्टी काली व चिकनी होने के कारण उपजाऊ एवं पानी को अधिक दिनों तक अवशोषित करने वाली होती है। रबी एवं खरीफ की फसलें बरसात के पानी से पैदा की जाती है। कुछ क्षेत्रों में सिंचाई के माध्यम से खेती की जाती है। सिंचाई के लिए टोरडी सागर एवं चांदसेन के बाँधों द्वारा आपूर्ति की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में अकाल पड़ने से इन बाँधों में जल भराव की क्षमता में कमी आई है। इस क्षेत्र की मुख्य फसलें रबी-सरसों, चना, गेहूँ, जौ, अलसी, तारामीरा, सौंफ व खरीफ-ज्वार, मक्का, मूंग, उड़द, मूंगफली, बाजरा आदि हैं।

2.3 ऐतिहासिक

इस नगर की स्थापना सन, 1216 ई. में राजा मालदेव द्वारा करवाई गई। जो राजा भोजराज परमार से सम्बन्ध रखते थे। राजा भोज का नाम राजस्थान के इतिहास में अपना अलग स्थान रखता है। राजा "मालदेव" के नाम पर इस नगर का नाम मालपुरा रखा गया था। प्राचीन काल से ही यह कस्बा व्यापारिक केन्द्र के रूप में विख्यात रहा है। यहाँ विशेषरूप से केसर, कस्तूरी, सोना, चाँदी, मणिमाणक, गुड़, अफीम, रूई व ऊन आदि का व्यापार प्रमुखता से होता था।

कस्बे में पुरातत्व महत्व का गढ़ बना हुआ था परन्तु बिना मरम्मत के खण्डहर में तब्दील हो गया है। वर्तमान में यहाँ पुलिस थाना संचालित है। इसके अतिरिक्त प्राचीन बम्ब तालाब में शिवजी की छतरी एवं शिव मन्दिर तथा प्राचीन छतरियाँ, जैन श्वेताम्बर समुदाय का प्रसिद्ध दादाबाड़ी (जैन कुशल सुरीश्वर जी महाराज) का भव्य मन्दिर, जो खरतरगच्छ समुदाय का राजस्थान में एक मात्र प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ जामा मस्जिद, कालूखों के महलों की मस्जिद आदि प्राचीन इमारतें हैं। इस नगर से 1.5 कि. मी. दूरी पर धार्मिक स्थल डिग्गी में कल्याण जी का मन्दिर है, जहाँ लाखों की संख्या में देश-प्रदेश के एवं विदेशों से पर्यटक वर्ष पर्यन्त दर्शनार्थ पहुँचते हैं।

2.4 जनांकिकी

मालपुरा, प्राचीन समय से व्यापारिक गतिविधियों का केन्द्र होने से इसको कस्बे का दर्जा प्राप्त था। अतः इस कस्बे को 1901 से ही नगर की श्रेणी में गिना जाता रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से मालपुरा का टोंक जिले में तीसरा स्थान है। इस कस्बे की वर्ष 1901 में जनसंख्या 6502 थी। लगातार दो दशकों में जनसंख्या का पलायन होने से वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई। चार दशकों बाद पुनः वर्ष 1941 में उक्त जनसंख्या के लगभग बराबर हो गई। वर्ष 1941 से आगे के छः दशकों में लगातार सकारात्मक वृद्धि दर के क्रम में जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 में जनसंख्या 27360 तक पहुँच गई, जो वर्ष 1941 की तुलना में वर्ष 2001 में जनसंख्या में चार गुने से अधिक की

बढ़ोतरी हो गई। नगर में सार्वधिक जनसंख्या वृद्धि दर 1951-1961 के दशक में 32.61 प्रतिशत दर्ज की गई।

वर्ष 1991-2001 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 15.84 प्रतिशत रही, जो राज्य स्तर 28.4 प्रतिशत एवं जिलास्तर 24.3 प्रतिशत से काफी कम है। इस सम्बन्ध में यह अनुमान लगाया गया है कि नगर में बन्द होती औद्योगिक इकाइयों, लगातार वर्षों के नहीं होने से रोजगार की तलाश में एवं उच्च शिक्षा हेतु जनसंख्या का पलायन हुआ है। मालपुरा का कुल क्षेत्रफल 448.10 हैक्टेयर है इस आधार पर वर्ष 1991 में जनसंख्या घनत्व 53 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर था जो वर्ष 2001 में यह बढ़कर 61 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर हो गया। आधार वर्ष 2010 में नगर की जनसंख्या लगभग 34000 होने का आंकलन किया गया है अतः में विकसित क्षेत्र के आधार पर जनसंख्या घनत्व 122 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर है।

कस्बे का लिंगानुपात में पिछले तीन दशकों से लगातार वृद्धि दर्ज की गई, जो 1000 पुरुषों की तुलना में वर्ष 1981, 1991 व 2001 में क्रमशः 902, 924, 936 महिलाएं पाई गई हैं। इस प्रकार वर्ष 2001 में नगर का लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर पर अनुपात 1000:933 राज्य स्तर पर 1000:922 एवम् जिला स्तर पर अनुपात 1000:934 से अधिक है। नगर में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को तालिका-1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1:

जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, मालपुरा -1901-2010

वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि अन्तर	वृद्धि दर (प्रतिशत)
1901	6502	-	-
1911	6140	(-) 362	(-) 5.57
1921	5373	(-) 767	(-) 12.49
1931	5996	623	11.60
1941	6615	619	10.32
1951	8010	1395	21.09
1961	10622	2612	32.61
1971	13971	3349	31.53
1981	17994	4023	28.80
1991	23618	5624	31.25
2001	27360	3742	15.84
2010'	34000	6640	24.27

स्रोत :- जनगणना, भारत सरकार एवं अनुमान'

2.5 व्यावसायिक संरचना

मनुष्य के जीवन का आधार श्रम है। श्रम से ही मानव विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। मालपुरा प्राचीन समय से ही व्यापारिक गतिविधियों का केन्द्र रहा है। इसलिए स्थानीय निवासी खेती के साथ अन्य कार्यों के प्रति अधिक समर्पित रहे हैं। कस्बे व उसके पश्य क्षेत्र की मुख्य पैदावार, सरसों, चना, गेहूँ, जौ, तारामीरा, सौंफ, ज्वार, मक्का, मूँग, उड़द, तिल, मूँगफली, बाजरा इत्यादि हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मालपुरा कस्बे में कुल जनसंख्या से कामगारों का सहभागिता अनुपात 31.11 प्रतिशत था। वर्ष 2001 में मालपुरा, प्रशासनिक केन्द्र होने के साथ यहाँ अन्य राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय कार्यालयों की उपस्थिति, व्यापार एवं वाणिज्य पर आधारित यहाँ की अर्थव्यवस्था, उद्योग, निर्माण एवं यातायात एवं संचार सुविधाओं आदि कारणों से यहाँ अन्य श्रमिक में सार्वधिक कामगार 67.59 प्रतिशत दर्ज किये गये। उक्त जनगणना अनुसार काश्तकार एवं खेतीहर मजदूर का कुल कार्यशील व्यक्तियों से क्रमशः 6.19 प्रतिशत तथा 3.35 प्रतिशत था। नगर में गलीचे बनाना, लकड़ी का कार्य, चमड़े की जूतियाँ, लाख से चूड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन बनाना, हस्तकला, बढईगिरी, लुहार आदि घरेलू उद्योगों में 9.72 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत थे। आधार वर्ष 2010 में भी नगर में वर्ष 2001 की प्रवृत्ति के आधार पर नगर की व्यावसायिक संरचना का आंकलन किया गया है। इस वर्ष का सहभागिता अनुपात 31.51 प्रतिशत है एवं काश्तकार, खेतीहर, मजदूर, घरेलू उद्योग व अन्य श्रमिकों में क्रमशः 643, 321, 1071 एवं 8678 व्यक्तियों का होने का अनुमान किया गया है। नगर की व्यावसायिक संरचना को तालिका-2 में दर्शाया गया है।

तालिका-2
व्यावसायिक संरचना, मालपुरा-2001-2010

क्र. सं.	व्यवसाय	2001		2010'	
		कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	कार्यशील व्यक्तियों का प्रतिशत	कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	कार्यशील व्यक्तियों का प्रतिशत
1.	काश्तकार	527	6.19	643	6.00
2.	खेतीहर मजदूर	285	3.35	321	3.00
3.	घरेलू उद्योग श्रमिक	827	9.72	1071	10.00
4.	अन्य श्रमिक	6873	80.74	8678	81.00
योग		8512	100.00	10713	100.00
सहभागिता अनुपात		31.11:		31.51:	
जनसंख्या		27360		34000	

स्रोत :- जनगणना, भारत सरकार एवं अनुमान'

2.6 विद्यमान भू उपयोग

विद्यमान में नगर का नगरीयकृत क्षेत्र 359.76 हैक्टेयर है। 77.29 प्रतिशत भूमि विकसित क्षेत्र है। इस विकसित क्षेत्र की लगभग 38.51 प्रतिशत भूमि का भू-उपयोग आवासीय है, जिसका क्षेत्रफल 107.08 हैक्टेयर है। आवासीय के पश्चात परिसंचरण के अर्न्तगत 53.17 हैक्टेयर, औद्योगिक उपयोग हेतु 46.08 हैक्टेयर, वाणिज्यिक उपयोग हेतु 18.92 हैक्टेयर राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय के अर्न्तगत 9.90 हैक्टेयर, सार्वजनिक एवम् अर्द्धसार्वजनिक के लिए 35.70 हैक्टेयर व आमोद प्रमोद हेतु 7.21 हैक्टेयर भूमि का विद्यमान में भू-उपयोग हो रहा है। मालपुरा का विद्यमान भू-उपयोग वर्ष 2010 को तालिका-3 में दर्शाया गया है।

तालिका-3
विद्यमान भू- उपयोग –मालपुरा –2010

क्र.स.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकृत क्षेत्र का प्रतिशत
1	आवासीय	107.08	38.51	29.76
2	वाणिज्यिक	18.92	6.81	5.26
3	औद्योगिक	46.08	16.57	12.82
4	सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय	9.90	3.56	2.75
5	आमोद प्रमोद	7.21	2.59	2.00
6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	35.70	12.84	9.92
7	परिसंचरण	53.17	19.12	14.78
कुल विकसित क्षेत्र		278.07	100.00	77.29
8	कृषि रिक्त भूमि	2.78	—	0.77
9	जलाशय	78.92	—	21.94
कुल नगरीयकृत क्षेत्र		359.76	—	100.00

स्रोत :- सर्वेक्षण

2.6.1 आवासीय

2.6.1 (अ) आवासन

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कस्बे की जनसंख्या 23618 थी जो वर्ष 2001 में 15.32 वृद्धि दर के साथ बढ़कर 27360 हो गई। वर्ष 2001 में नगर में 4279

परिवार थे। इस प्रकार नगर के परिवार का आकार 6.39 व्यक्ति प्रति परिवार था। वर्ष 2010 में नगर की जनसंख्या लगभग 34000 होने का आंकलन किया गया है। इस वर्ष के सर्वेक्षण अनुसार कस्बे में आवासीय उपयोग के अर्न्तगत 107.08 हैक्टेयर भूमि है जो कुल विकसित क्षेत्र का 38.51 प्रतिशत है। वर्ष 2010 में आवासीय घनत्व 317 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर है जो कि मानक से अधिक है। कस्बे के पुरानी आबादी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सार्वधिक है एवं बाहरी व नये आवासीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम है।

पुरानी आबादी अनियोजित एवं संकड़ी व सर्पाकार गलियों पर बसी हुई है। यहाँ मकान एक दूसरे के सटे हुए निर्मित हैं। कस्बे का अधिकतर आवासीय विकास राज्य राजमार्ग-37ए के पूर्व में व राज्य राजमार्ग-12 के दक्षिण में है। इस प्रकार मालपुरा उत्तर-पूर्व की ओर विकसित हो रहा है। नगर पालिका, मालपुरा ने सुनियोजित आवासीय योजनाएं विकसित की है। इनमें शास्त्रीनगर, शास्त्रीनगर विस्तार, आदर्शनगर, आदर्शनगर विस्तार, जवाहर नगर, इन्द्रा कॉलोनी, इन्द्रा कॉलोनी विस्तार, मुख्य हैं। पुराने कस्बे में सड़कें 3-5 मीटर चौड़ाई की हैं। नये विकसित क्षेत्रों में सड़कें निर्धारित मानदण्डों के अनुसार हैं।

2.6.1 (ब) कच्ची बस्तियां

नगर पालिका क्षेत्र में कोई अधिघोषित कच्ची बस्ती नहीं है परन्तु कुछ स्थानों पर सुविधाओं का अत्यन्त अभाव होने के कारण कच्ची बस्तियों की स्थिति बन गई है। इन क्षेत्रों में नगर पालिका द्वारा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवायी जानी अपेक्षित है।

2.6.2 वाणिज्यिक

मालपुरा, प्राचीनकाल से व्यापारिक केन्द्र के रूप में विख्यात रहा है। विशेषरूप से यहाँ केसर, कस्तूरी, सोना-चाँदी, जवाहरात, गुड़, अफीम, रूई व ऊन आदि का व्यापार प्रमुखता से होता था। वर्तमान में, कृषि मण्डी के कारण यह कस्बा टोंक जिले के व्यापारिक केन्द्रों में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है।

मालपुरा में पुरानी बसावट में दो दरवाजे हैं उनके मध्य में डिग्गी ठिकाने द्वारा निर्मित दुकानों में प्राचीन समय से ही व्यापार हो रहा है। नगर के इस व्यापारिक क्षेत्र में अधिक समय लगने व भीड़-भाड़ के कारण कस्बे के अन्य भागों व आन्तरिक सड़कों के सहारे वाणिज्यिक गतिविधियां अनियोजित रूप में संचालित हो रही हैं। इनमें मुख्य वाणिज्यिक गतिविधियां ज्योति बाजार, नवीन मण्डी, सदर बाजार व बस स्टैण्ड के आस-पास संचालित हैं।

फल मण्डी अस्थाई रूप से सदर बाजार के पास लगती है। भौतिक सर्वेक्षण अनुसार मालपुरा में वाणिज्यिक गतिविधियां 912 स्थाई दुकानों में संचालित है इनमें 1901 व्यक्ति कार्यरत हैं। इनके अलावा फुटकर व्यवसाय टेला व थड़ियों के रूप में किया जा रहा है। यहाँ अस्थाई तौर पर 129 थड़ियों पर 165 व्यक्ति रोजगार में लगे हुए हैं।

मालपुरा में दूध सड़क पर कृषि उपज मण्डी, नियोजित रूप में समस्त सुविधाओं से युक्त होकर संचालित है। मण्डी की स्थापना दिनांक 23.06.1966 को की गई थी।

मण्डी समिति द्वारा प्रति वर्ष डिग्गी के मेले में आने वाले पद यात्रियों के लिए समुचित सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। पिछले वर्षों में इस नगर के पश्य क्षेत्र में अकाल पड़ने से, मण्डी की आय में कमी दर्ज की गई है। इस मण्डी में 33 कर्मचारी कार्यरत है एवं इसका क्षेत्रफल 10.75 हैक्टेयर है। नगर में अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों में 8.17 हैक्टेयर भूमि है, इस प्रकार कुल 18.92 हैक्टेयर भूमि वाणिज्यिक उपयोग में स्थित है जो विकसित क्षेत्र का 6.81 प्रतिशत है।

2.6.3 औद्योगिक

मालपुरा के उत्तर दिशा में वर्ष 1978 में रीको द्वारा राजस्व ग्राम बृजलाल नगर की भूमि पर सुनियोजित औद्योगिक क्षेत्र 41.24 हैक्टेयर में विकसित किया गया। इस क्षेत्र में नियोजित 169 प्लॉट हैं। इनमें से 100 प्लॉट रिक्त हैं, एवं 69 प्लॉटों में औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं। परन्तु वर्तमान में कच्चे माल की आपूर्ति नहीं होने से 13 इकाइयां बन्द हो गई हैं। इस क्षेत्र में अधिकतम तेल, पशु आहार, सीमेंट, प्लास्टिक, आटा मिल आदि औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं। रीको क्षेत्र के अलावा मालपुरा में अन्य औद्योगिक इकाइयां 4.84 हैक्टेयर भूमि पर संचालित है। इस प्रकार विद्यमान औद्योगिक भू-उपयोग के अन्तर्गत 46.08 हैक्टेयर भूमि है, जो विकसित क्षेत्र का 16.57 प्रतिशत है। उक्त नगर में संचालित औद्योगिक इकाइयों का विवरण तालिका-4 में दर्शाया गया है।

तालिका-4
औद्योगिक इकाइयां, मालपुरा-2010

क्र. सं.	उद्योग की श्रेणी	इकाइयों की संख्या	कार्यरत श्रमिक
1.	कृषि आधारित	13	16
2.	वन उत्पादक आधारित	19	60
3.	लोहा, खराद, लैथ	1	3
4.	कम्प्रेसर, बैल्डिंग आदि	1	1
5.	अन्य	4	18
योग		38	98

स्रोत :- जिला उद्योग केन्द्र, टोंक

2.6.4 सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय

मालपुरा कस्बा, उपखण्ड, तहसील, नगर पालिका एवं पंचायत समिति मुख्यालय होने के कारण, राजकीय कार्यालयों एवं अर्द्ध राजकीय क्रियाकलापों ने कस्बे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मालपुरा में विद्यमान सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों के अन्तर्गत 9.90 हैक्टेयर भूमि पर 31 कार्यालय संचालित है, जो कि कुल विकसित भूमि का 3.56 प्रतिशत है।

तालिका-5

सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय, मालपुरा- 2010

क्र. स.	कार्यालय का स्वरूप	कार्यालय भवन			कर्मचारियों की संख्या
		राजकीय	किरायेपर	कुल	
1	केन्द्र सरकार	—	3	3	290
2	राज्य सरकार	16	3	19	1617
3	अर्द्ध राजकीय	9	—	9	347
कुल		25	6	31	2254

स्रोत :- सर्वेक्षण

मालपुरा में केन्द्रीय सरकार के 3, राज्य सरकार के 19, अर्द्ध राजकीय 9 कार्यालय सेवारत है; इनमें कुल 2254 कर्मचारी कार्यरत हैं। उक्त कार्यालयों में 6 कार्यालय किराये के परिसरों में संचालित हैं।

2.6.5 आमोद -प्रमोद:

मानव शरीर में जो स्थान फेफड़ों का है, वही स्थान कस्बे/शहर में पार्क, खुले स्थल एवं खेल के मैदानों का है। मालपुरा में नगरीय स्तर के उद्यान व खेल के मैदानों का अभाव है। नगरीयकरण के अन्धाधुन्ध बढ़ते हुए दबाव से नगरीय जीवन तनावमुक्त रहने के लिए, आमोद-प्रमोद की सुविधाओं की अत्यधिक आवश्यकता है। कस्बे के मध्य में सरकारी अस्पताल के पास गाँधी पार्क विकसित है, जोकि बहुत छोटा है, यहाँ दादाबाड़ी के दक्षिण में रामलीला मैदान है। उक्त नगर में इस भू-उपयोग के अन्तर्गत वर्तमान में 7.21 हैक्टेयर भूमि आती है, जो विकसित क्षेत्र का 2.59 प्रतिशत है।

मालपुरा शहर के लगभग बीच में सरकारी अस्पताल के पास गाँधी पार्क स्थित है। इस नगर में रामलीला मैदान है, जो कि दादाबाड़ी के दक्षिण में स्थित है। मालपुरा कस्बे में नगरीय स्तर के स्टेडियम का अभाव है। उक्त नगर में जयपुर की ओर जाने वाली सड़क पर राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल में खेल का मैदान है। जहाँ नगरीय स्तर की खेल-कूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। यहाँ के मुख्य त्यौहार गणगौर एवं तीज हैं। इन अवसरों पर गणगौर की सवारी चारभुजा मंदिर से गणगौरी दशहरा मैदान तक निकलती है जो बाद में मेले में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर विभिन्न तरह के मेलों के आयोजन हेतु स्कूल में स्थित के खेल के मैदान को उपयोग में लाया जाता है। कस्बे में, पर्यटन सुविधाओं की स्थिति नगण्य है।

2.6.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं

विद्यमान स्थिति में मालपुरा में कुल 35.70 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है, जो विकसित क्षेत्र का 12.84 प्रतिशत है। इस नगर में वांछित नगरीय मानदण्डों के अनुपातिक दृष्टि से उपलब्ध सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं यथा शैक्षणिक, चिकित्सा, अन्य सामुदायिक सुविधाएं, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थल, श्मशान व कब्रिस्तान एवं

जनोपयोगी सुविधाएं आदि का विकास नहीं होने से, वर्तमान में इनकी स्थिति अपर्याप्त हैं।

2.6 (6) (अ) शैक्षणिक सुविधाएं

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मालपुरा में 73.96 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर थे, जो जिला स्तर की साक्षरता दर 52 प्रतिशत एवं राज्य की साक्षरता दर से 60.4 प्रतिशत से अधिक हैं। यहाँ पुरुषों में 86.76 प्रतिशत एवं 60.18 प्रतिशत महिला साक्षर होना दर्ज किया गया।

मालपुरा उच्च शिक्षा की दृष्टि से विशेष स्थान अर्जित नहीं कर पाया है। शिक्षा के लिए यहाँ एक राजकीय महाविद्यालय है। जिसमें 611 विद्यार्थी अध्ययनरत है। इसके अतिरिक्त तकनीकी शिक्षा के लिए केकड़ी सड़क पर नगर से 4 कि. मी. दूर एक आई. टी.आई. संचालित है। नगर के विद्यार्थियों को अन्य उच्च शिक्षा आदि के लिए देश के अन्य शहरों में जाना पड़ता है, जबकि इस नगर के पश्य क्षेत्र के स्कूली स्तर के विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते हैं। कस्बे में राजकीय एवं निजी क्षेत्र में विद्यालय स्तर की 34 शिक्षण संस्थाएं, संचालित है। जिनमें कुल 7786 विद्यार्थी अध्ययनरत है। इन संस्थाओं में लगभग 417 अध्यापक एवं कर्मचारी कार्यरत है।

मालपुरा में राजकीय स्तर पर 3 प्राथमिक विद्यालय, 2 उच्च प्राथमिक, व 2 सीनियर सैकण्डरी विद्यालय हैं। निजी क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर 11 विद्यालय, उच्च प्राथमिक स्तर पर 9, व सीनियर सैकण्डरी स्तर पर 7 विद्यालय संचालित हैं। यहाँ एक नर्सिंग स्कूल व एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान भी है। राजकीय सीनियर सैकण्डरी विद्यालय में खेल का मैदान व अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। तालिका-6 में शैक्षणिक संरचना, मालपुरा-2010 को दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-6 :-

शैक्षणिक संरचना, मालपुरा - 2010

क्र. सं.	शैक्षणिक स्तर	आयु वर्ग	विद्यालय में जाने योग्य छात्र विद्यार्थियों की संख्या	पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या	पंजीकृत विद्यार्थियों का प्रतिशत	विद्यालयों की संख्या	विद्यार्थियों की औसत संख्या
1	प्राथमिक	6-10	2269	1881	14	83	135
2	उच्च प्राथमिक	11-13	2814	2932	11	104	267
3	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक	14-17	2255	2973	9	132	330
	योग	-	7338	7786	34	106	229

स्रोत:- शिक्षा विभाग, मालपुरा

**तालिका संख्या-7:-
अन्य शैक्षणिक सुविधाएं मालपुरा-2010**

क.स.	विद्यालय स्तर	संस्थाओं की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या	कार्यरत कार्मिकों की संख्या
1	महा / विद्यालय	1	611	19
2	आई.टी.आई.	1	50	11
3	शिक्षक प्रशिक्षण	1	100	14
4.	संस्थान नर्सिंग स्कूल	1	45	3
	योग	4	806	47

स्रोत :- सर्वेक्षण

2.6 (6) (ब) चिकित्सा सुविधाएं

मालपुरा में जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए एवं उपखण्ड मुख्यालय होने के बावजूद वांछित नगरीय मानदण्डों के अनुसार यहां चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। इस नगर में गाँधी पार्क के पास 30 शय्या युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। इसके अलावा इस नगर में निजी स्तर पर 100 शय्या की मता का रेखा देवी मेमोरियल हॉस्पिटल, 15 शय्या की मता का वालिया हॉस्पिटल व 25 शय्या युक्त एक अन्य हॉस्पिटल सेवारत है। इस प्रकार विद्यमान में मालपुरा में 6800 व्यक्तियों पर एक चिकित्सा इकाई है। पशु चिकित्सा के लिए नगर पालिका के पास, सुभाष सर्किल पर प्रथम श्रेणी का पशु चिकित्सालय संचालित है।

**तालिका संख्या-8
चिकित्सा सुविधाएं, मालपुरा -2010**

क.स.	चिकित्सालय का प्रकार	संख्या	डाक्टर	कार्यालय स्टाफ	शय्या
1	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1	6	44	30
2	निजी चिकित्सालय	3	6	29	140
	कुल योग	4	12	73	170

2.6 (6) (स) सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल

मालपुरा में अलग-अलग समुदायों के व्यक्ति यहाँ पर उपलब्ध खुले रिक्त स्थलों पर अपने से सम्बन्धित सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। नगर के मुख्य त्यौहारों में गणगौर एवं तीज मेला है जिस मौके पर चारभुजा मन्दिर से

गणगौरी/दशहरा मैदान तक सवारी निकलती है, जो अन्त में मेले के रूप में परिवर्तित हो जाती है। नगर की जनता अपने पहनावे व अन्य सांस्कृतिक विरासत को कायम रखे हुए है। नगर में ऐतिहासिक महत्व के अन्तर्गत बम्ब तालाब में शिव मन्दिर की छतरी, फलौदी बालाजी, घाटी के बालाजी, घाणा के बालाजी, 700 वर्ष पुराना दादाबाड़ी जैन मन्दिर जो कि राज्य का एक मात्र मन्दिर है, जामा मस्जिद, कालूखाँ के महलों की मस्जिद आदि हैं। इनके अलावा डिग्गी ठिकाने द्वारा निर्मित छतरियां कलात्मक दृष्टि से प्रसिद्ध है।

नगरपालिका क्षेत्र में आबादी से सटकर बम्ब तालाब है जिसके बीच में प्राचीन शिव मंदिर है। तालाब से दूर उत्तर दिशा में फलौदी बालाजी, पूर्व दिशा में घाटी के बालाजी एवं धाणा के बालाजी एवं नसिया के बालाजी स्थित हैं। शहर के पश्चिम में झालरा तालाब है। मालपुरा में सीताराम जी का मन्दिर भिन्न भिन्न स्थानों पर जैन मन्दिर एवं हिन्दुओं के कई प्रतिष्ठित मन्दिर स्थित हैं। इसी प्रकार मुस्लिम समुदाय के लिए यहां जामा मस्जिद, अन्य छोटी मस्जिद, बड़ी मस्जिद, कालू खाँ के महलों की मस्जिद, दूधाधारी मस्जिद आदि स्थित हैं। कस्बे के दक्षिण पश्चिम दिशा में (जैन तीर्थ) जैन श्वेताम्बर खरतरगच्छ समुदाय की प्रसिद्ध दादा बाड़ी (जैन कुशल सूरीश्वर जी महाराज) का भव्य मन्दिर स्थित है जहां पर देश के कोने-कोने से दर्शनार्थी आते रहते हैं।

2.6 (6) (द) अन्य सामुदायिक सुविधाएं

मालपुरा में अन्य सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत एक पी.डब्ल्यू.डी. गेस्ट हाउस, 14 धर्मशालाएं डाकघर, सिनेमा, टेलिफोन एक्सचेंज पुलिस स्टेशन, अग्निशमन सेवा (नगरपालिका परिसर में), सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ बडौदा, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शय्यद क्लब, खेल मैदान आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। नगर में वाचनालय एवं पुस्तकालय का अभाव है।

2.6 (6) (य) जनोपयोगी सुविधाएं

विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन नगरीय जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति एवं विद्युत आपूर्ति सुनियोजित जल-मल निस्तारण व्यवस्था के बिना स्वस्थ वातावरण की कल्पना नहीं की जा सकती है।

2.6 (6) (य) (i) जलापूर्ति

मनुष्य को जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसलिए मनुष्य निवास के लिए भूमि का चयन करते समय, जल को प्राथमिकता से विचार करता है। इसी क्रम में मालपुरा नगर की बनावट बम्ब तालाब के निकट हुई है यह तालाब यहाँ के निवासियों को पीने का जल उपलब्ध करवाता था। प्राचीन काल से ही यह तालाब

स्थानीय निवासियों के पीने, उनके पशुओं की जलापूर्ति एवं खेती की सिंचाई के लिए पर्याप्त माना जाता रहा है। परन्तु नगर में, जनसंख्या दबाव से सभी मूलभूत सुविधाओं के ढांचे का सन्तुलन बिगड़ गया है।

जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग मालपुरा के माध्यम से यहां 15 ट्यूबवेलों से 10 लाख लीटर एवं एक दिन के अन्तराल में बीसलपुर परियोजना से 16 लाख लीटर की जलापूर्ति की जाती है। इस प्रकार कस्बे को 18 लाख लीटर जल प्रतिदिन आपूर्ति की जाती है, जो 66 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। यह जलापूर्ति निर्धारित मानदण्डों से कम है। वर्ष 2010 में मालपुरा की जलापूर्ति को तालिका 9 दर्शाया गया है।

**तालिका – 9 :-
जलापूर्ति मालपुरा –2011**

क.स.	श्रेणी	कनेक्शनों की संख्या	कुल कनेक्शनों का प्रतिशत
1	आवासीय	4331	95.59
2	वाणिज्यिक	97	2.14
3	औद्योगिक	30	0.66
4	राजकीय	51	1.13
5	सार्वजनिक	22	0.48
कुल		4531	100.00

स्रोत :- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, मालपुरा

2.6 (6) (य) (ii) जल मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन

मालपुरा कस्बे में जल-मल निस्तारण हेतु सीवरेज प्रणाली की व्यवस्था नहीं है। दूषित जल व मल खुली नालियों में बहाया जाता है। नगर का ढलान उत्तरी-पूर्वी से दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए उत्तरी-पूर्वी दिशा का गन्दा पानी बम्बतालाब में एकत्रित हो जाता है। यह तालाब कभी पीने के जल की आपूर्ति करता था, वह अब दूषित जल से भरा हुआ है। पश्चिमी क्षेत्र का झालरा तालाब व अन्य तालाबों में भी दूषित जल एकत्रित हो रहा है, जिससे जल व वायु प्रदूषण हो रहा है एवं अनेक प्रकार की बिमारियां फैलने की आशंका बनी रहती है। नगर में मल निस्तारण बाबत सेप्टिक टैंक व सोकपिट व्यवस्था उपलब्ध है। नई आवासीय कॉलोनियों में नालियों की व्यवस्था नहीं होने से लोगों द्वारा घरों का दूषित जल सीधा सड़कों पर प्रवाहित किया जा रहा है तथा सड़कों पर गन्दा पानी इक्कठा रहने से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। पर्याप्त नालों व नालियों के अभाव से वर्षा काल में कस्बे की स्थिति और भी विकट हो जाती है। नगर पालिका द्वारा शहर का ठोस कचरा रामद्वारा एवं ईदगाह के बीच सड़क पर डाला जाता है इससे प्रायः शहर में गन्दगी बनी रहती है। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि कस्बे में जलमल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन का अभाव है।

2.6 (6) (य) (iii) विद्युत आपूर्ति

मालपुरा में, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा विद्युत उपलब्ध करवाई जा रही है। कस्बे में स्थित 132 के.वी. विद्युत लाईन/पावर ग्रिड सब स्टेशन, जोकि राज्य राजमार्ग संख्या 12 (केकड़ सड़क) पर स्थित है, द्वारा विद्युत उपलब्ध करवाई जाती है। मालपुरा नगर की विद्युत आपूर्ति-2010 को तालिका-10 में दर्शाया गया है।

तालिका-10:-

विद्युत आपूर्ति मालपुरा - 2010

क्र.स.	श्रेणी	कनेक्शनों की संख्या
1	आवासीय	17114
2	वाणिज्यिक	1545
3	उद्योग	370
4	कृषि	895
5	सार्वजनिक / अन्य	198
कुल		20122

स्रोत : जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मालपुरा

2.6 (6) (य) ;पअद्ध श्मशान एवं कब्रिस्तान

वर्तमान में श्मशान एवं कब्रिस्तान, कस्बे के बाहरी हिस्सों में स्थित है परन्तु धीरे-धीरे आबादी बढ़ने से इनके आसपास बसावट होती जा रही है। नगर के मुख्य श्मशान नगर के दक्षिण भाग में श्मशान घाटी सड़क पर, पूर्वी भाग में जयपुर सड़क पर व पश्चिम भाग में अजमेर सड़क पर स्थित हैं। कस्बे के पश्चिम भाग में अजमेर सड़क पर मुस्लिम समाज के लिए कब्रिस्तान की सुविधा उपलब्ध है।

2.6.7 परिसंचरण

परिसंचरण में यातायात व्यवस्था, बस तथा ट्रक-टर्मिनल, रेल सेवा, आदि सम्मिलित होती है। इसके अन्तर्गत मालपुरा में लगभग 53.17 हैक्टेयर भूमि उपयोग में आ रही है, जो विकसित क्षेत्र का 19.12 प्रतिशत है।

2.6.7 (अ) यातायात व्यवस्था

मालपुरा कस्बा सड़क मार्ग से जयपुर, अजमेर, टोंक, केकड़ी, टोडारायसिंह, दूदू तथा प्रान्त के अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। पुराने कस्बे की सड़कें संकड़ी 3-4 मीटर चौड़ी सर्पाकार है, जिन पर भीड़भाड़ बनी रहती है। कस्बे में पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं होने से वाहन बेतरतीब तरीके से इन्ही सड़कों के किनारे खड़े किये जाते हैं, जिसके कारण यातायात बाधित रहता है। जयपुर सड़क को छोड़कर शेष सड़कों पर अनियोजित विकास से यातायात में व्यवधान हो रहा है।

2.6.7 (ब) बस तथा ट्रक टर्मिनल

कस्बे में बस स्टैण्ड है, परन्तु बसें सुभाष चौक समीप भी रूकती हैं। इससे पुराने कस्बे में यातायात अवरूद्ध होता रहता है। बस स्टैण्ड के अन्दर जन-सुविधाओं का अभाव है एवं यात्रियों के लिये प्लेटफार्म की सुविधा नहीं है। नगर में बसों व टैक्सियों के लिए पार्किंग का अभाव है। मालपुरा में सामान व उत्पाद को लाने ले जाने के लिए ट्रक ही एक मात्र साधन है। ट्रकों को खड़े होने के लिए नगर में स्थान सुनिश्चित नहीं है। मुख्य सड़कों पर ही ट्रक खड़े रहते हैं एवं मरम्मत का कार्य भी सड़क पर ही होता रहता है, जिससे नगर के यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है।

2.6.7 (स) रेल सेवा

मालपुरा पूर्व में जयपुर-टोडारायसिंह रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ था। परन्तु वर्तमान में इस रेलवे लाइन को हटाते हुए रेल सेवा समाप्त कर दी गई। रेल सेवा का अभाव रेलवे एवं अन्य कारणों से मालपुरा औद्योगिक क्षेत्र में 13 औद्योगिक इकाइयां बन्द हो गईं एवं कुछ बन्द होने के कगार पर हैं। रेल सेवा बन्द होने से मालपुरा के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। वर्तमान में कस्बे को रेल सेवा 72 कि.मी. दूर निवाई में उपलब्ध है।

3

नियोजन की संकल्पना

कस्बे तथा नगर का विकास एवं उसका अस्तित्व उसके ऐतिहासिक पश्य भूमि से ओतप्रोत होता है। वहाँ के रहने वाले लोगों के क्रियाकलाप, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनितिक आदि गतिविधियों का प्रभाव निरन्तर कस्बे के विकास पर बना रहता है। कस्बे/नगर की संरचना व प्रतिरूप निरन्तर परिवर्तनीय है। ऐतिहासिक पश्य भूमि एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कस्बों/नगरों के विकास में काफी बदलाव आया है। पूर्व में जहाँ एक ओर सुरक्षा के कारणों से कस्बे का विकास सघन (कॉम्पैक्ट) था, वहीं आज यातायात के बढ़ते साधनों से प्रभावित होकर कस्बों में आबादी अव्यवस्थित रूप में बसने लग गई है। कस्बों में सुविधाओं की उपलब्धता के कारण गाँवों से नगरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ती जा रही है जिसके फलस्वरूप कस्बों पर दबाव निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

मालपुरा कस्बे की स्थापना भी सघन रूप में सुरक्षा की दृष्टि से की गई थी। अब बाहरी इलाकों में भी अनेक विकास जैसे— आवास, बाजार, खेल मैदान, विद्यालय, कार्यालय, उद्योग आदि स्थापित हो गये हैं। कस्बे का नवीन विकास नियोजित रूप से नहीं हो पाया है। इसके फलस्वरूप अन्य नगरों की भांति यहाँ भी अव्यवस्थित विकास, संकुचित यातायात, असंगत उपयोग और सामुदायिक सुविधाओं का अभाव आदि अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। अतः नगर नियोजन का उद्देश्य इन समस्याओं को न्यूनतम करना और भविष्य में यहाँ के नागरिकों के रहने के लिए स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है।

भौतिक नियोजन एक ऐसी पद्धति है, जिसके द्वारा नगर के भावी आकार, स्वरूप प्रतिरूप, विकास की दिशा आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। एक बार यदि प्रत्येक नगर के सम्बन्ध में ऐसे वृहद् निर्णय कर लिए जाते हैं तो, दिन-प्रतिदिन के प्रकरणों पर उचित समाधान हेतु इस सम्पूर्ण ढांचे के सन्दर्भ में ऐसे प्रत्येक हल का क्रियान्वयन, नगर को अपने अन्तिम लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम ओर आगे बढ़ाता है, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था के अन्तर्गत, पृथक से न तो कोई निर्णय ही लिया जाता है और न ही किसी कार्यक्रम को एकाकी रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है।

नियोजन की शब्दावली में इस प्रकार के समग्र ढांचे को मास्टर प्लान की संज्ञा दी जाती है, इस प्रकार एक मास्टर प्लान नगर के भावी विकास को निर्देशित करने वाली नीतियों एवं सिद्धान्तों का लिखित विवरण है। इसके साथ एक भू-उपयोग योजना तथा अन्य मानचित्र भी होते हैं। भू-उपयोग योजना इन नीतियों और सिद्धान्तों को स्थानगत विस्तार के रूप में भाषान्तर करने की विधि है। यह वृहद् परिसंचरण

व्यवस्था से सम्बन्धित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और कार्यों के वितरण को दर्शाता है। इस दृष्टि से मास्टर प्लान, नगर प्रशासन और जनता दोनों के लिए निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रत्येक नगर की अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, जिन्हें सुरक्षित बनाए रखने की प्रबल जन आकांक्षा हो सकती है। कतिपय मान्यताएं निर्धारित करके, उद्देश्यों की स्पष्ट घोषणा करनी पड़ती है। इन्हीं उद्देश्यों के सन्दर्भ में नियोजन के सिद्धान्तों को निर्धारित किया जाकर मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। मालपुरा नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान को बनाने की प्रक्रिया में इन सभी क्रमों की पालना की गई है।

3.1 नियोजन की नीतियां

यह अनुमान है कि आगामी दशकों में मालपुरा उपखण्ड मुख्यालय एवं पृष्ठ क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण कस्बा होने के फलस्वरूप प्रशासन, व्यापार, वाणिज्य एवं शिक्षा और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में विकसित होगा।

3.2 नियोजन के सिद्धान्त

मालपुरा कस्बे की बढ़ती जनसंख्या व विकास की दिशा तथा भविष्य में होने वाले वाणिज्यिक विकास के मद्देनजर विभिन्न भू-उपयोग के लिए समुचित भूमि का आंकलन किया जाना चाहिए ताकि इसी के अनुरूप समन्वित विकास हो सके। उपरोक्त वर्णित नियोजन नीतियों की पालना हेतु नियोजन के निम्नांकित सिद्धान्त निश्चित किए गए हैं :-

1. मालपुरा कस्बे में स्थित खाली भूमि पर अतिक्रमण तथा अनियोजित विकास की प्रबल सम्भावना है। अतः सभी का समुचित एकीकरण करने की दृष्टि से एक समग्र विकास योजना तैयार की जानी चाहिए।
2. नये क्षेत्रों को विकसित करते समय नगर के नये एवं पुराने क्षेत्रों के बीच भौतिक एवं सामाजिक रूप से उचित तारतम्य होना चाहिए ताकि विभिन्न गतिविधियों के बीच में अधिक सामंजस्य स्थापित रहे।
3. भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शहर में संगठित लघु उद्योग एवं गृह उद्योगों की स्थापना हेतु प्रावधान रखा जाना चाहिए जिससे कस्बे के नागरिकों को रोजगार प्राप्त हो सके व सामान्य व्यापार में वृद्धि हो। कस्बे के समीप प्रदूषणजनित उद्योगों की स्थापना की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए ताकि कस्बे के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
4. मालपुरा के भीतर स्थित पुराने क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए तथा स्थानीय मांग को पूरा करने हेतु उपयुक्त स्थलों पर वाणिज्यिक सुविधाओं की पदानुक्रमी पद्धति विकसित की जानी चाहिए।

5. संकड़ी नगरीय सड़कों पर भारी यातायात को कम करने और अन्यत्र संचारित करने के लिए उपयुक्त स्थान निर्धारित कर फल सब्जी, भवन निर्माण सामग्री, लकड़ी और लोहा बाजार आदि जो अधिक यातायात को प्रोत्साहन देते हैं, उनके थोक बाजारों हेतु पर्याप्त भूमि प्रस्तावित की जानी चाहिए।
6. नगर में राजकीय कार्यालय एवं अर्द्ध राजकीय कार्यालयों के लिए उचित स्थल का प्रावधान किया जाकर एक ही परिसर विकसित किया जाना चाहिए।
7. आवासीय घनत्व और स्वीकृत योजना मानदण्डों की पद्धति के अनुरूप सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में सामुदायिक सुविधाओं, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सेवाओं व जनोपयोगी सुविधाओं का विवेक सम्मत वितरण किया जाना चाहिए।
8. कस्बे के लिए परिसंचरण प्रतिरूप की एक ऐसी पदानुक्रमी व्यवस्था निश्चित की जाए कि जिससे विभिन्न प्रकार की सड़कों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। भू उपयोग योजना एवं यातायात संरचना एक दूसरे की पूरक होनी चाहिए। क्षेत्रीय यातायात को स्थानीय यातायात से मिश्रित न होने देने के लिए बाह्य मार्गों व उपमार्गों का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्यमान मुख्य सड़कों के यातायात दबाव को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रस्तावित किए जाने चाहिए तथा बस स्टैण्ड एवं ट्रांसपोर्ट नगर के लिए उचित स्थल का चयन कर विकास किया जाना चाहिए।
9. कस्बे की परिधि पर किसी प्रकार के अनियोजित विकास को नियंत्रित करने के उद्देश्य से नगरीयकरण क्षेत्र की सीमा के चारों ओर एक परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की जानी चाहिए। परिधि नियंत्रण पट्टी के अन्दर की ग्रामीण बस्तियों के विकास को नियंत्रित एवं नियोजित किया जाना चाहिए।
10. बम्ब तालाब, झालरा तालाब तथा अन्य तालाबों के आस पास के क्षेत्र को पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षित किया जाना चाहिए।
11. कस्बे की यातायात की स्थिति के सन्दर्भ में केकड़ी, अजमेर, दूदू, जयपुर व टोडारायसिंह को जाने वाली सड़कों को जोड़ते हुए सुगम बाईपास का प्रावधान रखा जाए जिससे इन कस्बों को जाने वाला यातायात शहर से होकर नहीं जाए एवं दुर्घटना की सम्भावना से भी बचा जा सके।
12. ऐतिहासिक भवन, इमारतें एवं प्राकृतिक संसाधन तालाब, नालों एवं बहाव क्षेत्र का सीमांकन कर इन्हें सुरक्षित एवं संरक्षित किया जाए।
13. बाह्य मार्गों के किनारे पौधारोपण पट्टी हेतु भूमि आरक्षित रखी जानी चाहिए। नगर में प्रस्तावित संस्थागत भवनों, औद्योगिक इकाइयों में भी पौधारोपण की सुनिश्चितता की जानी चाहिए।
14. नगर के औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं के मद्दे नजर नई रेलवे सुविधा, उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

4. भावी आकार

मालपुरा के नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत मालपुरा सहित 5 राजस्व ग्रामों को शामिल किया गया है। जिनका कुल क्षेत्रफल 12880 हैक्टेयर है। मालपुरा के जनसंख्या अनुमान एवं भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न प्रयोजनार्थ भूमि की आवश्यकता की पूर्ति हेतु यह योजना तैयार की गई है।

4.1 जनांकिकी

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार मालपुरा की जनसंख्या 31.25 वृद्धि दर के साथ 23618 थी। जो बढ़कर वर्ष 2001 में 27360 हो गई थी। आधार वर्ष 2010 में इस नगर की जनसंख्या लगभग 60000 होने का आंकलन किया गया है। यह अनुमान है कि विकास योजना अवधि में, कस्बे का विकास त्वरित गति से होता रहेगा। क्षितिज वर्ष 2031 तक कस्बे की जनसंख्या 60000 हो जाने का अनुमान किया गया है। जनसंख्या वृद्धि के अनुमान लगाते समय प्राकृतिक वृद्धि एवं आप्रवास को ध्यान में रखा गया है। वर्ष 1981 से वर्ष 2031 तक मालपुरा की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमान को तालिका-11 में दर्शाया गया है।

तालिका -11

जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमान, मालपुरा 1981-2031

क.स.	वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि	वृद्धि दर (प्रतिशत)
1.	1981	17994	—	—
2.	1991	23618	5624	31.25
3.	2001	27360	3742	15.84
4.	2011	34000	6640	24.27
5.	2021	44000	10000	29.41
6.	2031	60000	16000	36.36

स्रोत :- जनगणना, भारत सरकार एवं अनुमान

4.2 व्यावसायिक संरचना

वर्ष 2001 में मालपुरा का सहभागिता अनुपात 31.11 प्रतिशत था, जो वर्ष 2010 में 31.51 प्रतिशत होने का आंकलन किया गया है। क्षितिज वर्ष 2031 में नगर की व्यावसायिक संरचना को भविष्य की आर्थिक सम्भावनाओं, भूतकालीन प्रवृत्तियों व अन्य शहरों का तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर अनुमान किया गया है। क्षितिज वर्ष के लिए नगर का सहभागिता अनुपात 32.31 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2010 में 10713 कार्यशील व्यक्तियों की तुलना में वर्ष 2031 में 19385 कामगार

होने का अनुमान है। अन्य सेवाओं के विकास और उद्योगों के विकास के सम्मिलित प्रभाव से, व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियां इस नगर की महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएं बनी रहेंगी। यह भी अनुमान लगाया गया है कि मालपुरा प्रशासनिक एवं शिक्षा का केन्द्र बना रहेगा, जिससे सेवा क्षेत्र में रोजगार की अच्छी सम्भावनाएं बनी रहेंगी। इस नगर की तुलनात्मक व्यावसायिक संरचना 2001-2031 को तालिका-12 में दर्शाया गया है।

तालिका -12
अनुमानित व्यावसायिक संरचना, मालपुरा 2001-2031

क. स.	व्यवसाय	आधार वर्ष 2001		वर्तमान अनुमान वर्ष 2010		प्रस्तावित अनुमान वर्ष 2031	
		कामगार संख्या	प्रतिशत	कामगार संख्या	प्रतिशत	कामगार संख्या	प्रतिशत
1.	काश्तकार	527	6.19	643	6.00	1163	6.00
2.	खेतीहर मजदूर	285	3.35	321	3.00	388	2.00
3.	घरेलू उद्योग श्रमिक	827	9.72	1071	10.00	1939	10.00
4.	अन्य श्रमिक	6873	80.74	8678	81.00	15895	82.00
योग		8512	100.00	10713	100.00	19385	100.00
सहभागिता अनुपात		31.11		31.51		32.31	
जनसंख्या		27360		34000		60000	

4.3 नगरीय क्षेत्र

मालपुरा कस्बे का मास्टर प्लान बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3(1) के अन्तर्गत मालपुरा सहित 5 राजस्व ग्रामों को मालपुरा के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए अधिसूचना क्रमांक प. 10 (220) न.वि. वि. 3/2010 दिनांक 27.08.2010 को अधिसूचित किया गया है। जिसका कुल क्षेत्रफल 12880 हैक्टेयर है। इसमें नगरीयकरण योग्य क्षेत्र एवं इसके चारों ओर अनियोजित नियमित को नियोजित करने की दृष्टि से परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की गई है। नगरीय क्षेत्र में मालपुरा चान्दसेन, दौराई, हाथगी एवं बृजलालनगर ग्राम सम्मिलित किये गये हैं। जिसकी सूची परिशिष्ट-3 पर अंकित है।

4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र

आधार वर्ष 2010 की 34000 आंकलित जनसंख्या की तुलना में क्षितिज वर्ष 2031 में मालपुरा की जनसंख्या बढ़कर 60000 हो जाने का अनुमान है। इस प्रकार नियोजन अवधि दौरान इस कस्बे में लगभग 16000 व्यक्ति बढ़ जाने का अनुमान है। अतः बढी

हुई जनसंख्या के रहने, कार्य करने और सामुदायिक सुविधाओं के लिये भूमि की आवश्यकता होगी। वर्तमान प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि भविष्य में कस्बे का विकास मुख्यतः दूदू सड़क, अजमेर सड़क, केकड़ी सड़क व जयपुर सड़क की दिशा में होगा। मालपुरा के नगरीय क्षेत्र की सम्भावित सीमाओं का निर्धारण करते समय वर्तमान भौतिक संरचनाओं को ध्यान में रखते हुए 1137 हैक्टेयर भूमि नगरीयकरण योग्य क्षेत्र हेतु प्रस्तावित की गई है।

4.5 योजना क्षेत्र:-

नगर में सुधार एवं भावी विकास के उद्देश्य से मालपुरा नगरीय क्षेत्र को 4 योजना क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रस्ताव करते समय विकास के वर्तमान प्रतिरूप, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित स्वरूपों, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं की प्रस्तावित स्थिति और उनके पारस्परिक सम्बन्ध आदि तथ्यों पर, पर्याप्त ध्यान दिया गया है। रोजगार, आवास, व्यवसाय, आमोद-प्रमोद तथा अन्य सामुदायिक सुविधाओं की दृष्टि से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रत्येक योजना क्षेत्र, स्वनिर्भर इकाई के रूप में होगा। इन योजना क्षेत्रों को तालिका-13 में दर्शाया गया है।

तालिका-13

योजना क्षेत्र, मालपुरा-2031

क्र. सं	योजना क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	अनुमानित जनसंख्या
अ.	पुरानी आबादी योजना क्षेत्र	342.00	27,000
ब.	बृजलालनगर योजना क्षेत्र	345.00	17,000
स.	दादाबाड़ी योजना क्षेत्र	450.00	16,000
	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	1337.00	60,000
द.	परिधि नियंत्रण पट्टी	11743.00	—
	अधिसूचित नगरीय क्षेत्र	12880.00	—

प्रत्येक योजना क्षेत्र की सीमाओं को नगरीय क्षेत्र के मानचित्र में विद्यमान नगरीयकृत क्षेत्र, सन 2031 के लिए प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की सीमाओं के साथ दर्शाया गया है।

(अ) पुरानी आबादी योजना क्षेत्र :-

यह क्षेत्र बम्ब तालाब के चारों ओर का क्षेत्र है। यह क्षेत्र टोडारायसिंह सड़क के पूर्व की ओर, जयपुर सड़क के दक्षिण में एवं प्रस्तावित रिंग रोड़ के उत्तर दिशा की सीमाओं के मध्य आने वाला क्षेत्र है।

इस योजना क्षेत्र में वर्तमान में संचालित सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय, पोस्ट ऑफिस, बस स्टैण्ड, गाँधी पार्क, सीनियर सैकण्डरी स्कूल, घाटी सड़क पर श्मशान एवं पुरानी आबादी का अधिकांश क्षेत्र सम्मिलित है। इस क्षेत्र में प्रस्तावित हॉस्पिटल का विस्तार, बालिका महाविद्यालय, सब्जी मण्डी, सार्वजनिक सुविधा व अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए भूमि प्रस्तावित की गई है। इस क्षेत्र में पुराना बम्ब तालाब है इसको खुला क्षेत्र रखते हुए इसके दूषित जल को नगर के दूसरी तरफ निकालने का प्रस्ताव रखा गया है। इस योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 342 हैक्टेयर है। क्षितिज वर्ष 2031 में इस क्षेत्र की जनगणना लगभग 27000 होने का अनुमान किया गया है।

(ब) बृजलालनगर योजना क्षेत्र

यह क्षेत्र जयपुर सड़क के उत्तर की ओर दूदू सड़क के पूर्व की ओर एवं प्रस्तावित रिंग रोड़ के दक्षिण दिशा में है। यह क्षेत्र इन तीनों सड़कों के मध्य में स्थित है। इस क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी, रीको का औद्योगिक क्षेत्र, सीनियर सैकण्डरी स्कूल, खेल का मैदान, वन विभाग की नर्सरी, आवासीय क्षेत्र का आंशिक भाग, सरकारी गेस्ट हाउस, जयपुर वि.वि.नि.लि. का कार्यालय, सिंचाई विभाग, जनस्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग, सरस डेयरी तहसील ऑफिस, पंचायत समिति, नवीन भारत उद्योग, ब्लाक शिक्षा अधिकारी, कोर्ट आदि के कार्यालय इस क्षेत्र में स्थित हैं।

नये क्षेत्रों में थोक व्यापार, भण्डारण, वाणिज्यिक केन्द्र, पशु चिकित्सालय, जनरल हॉस्पिटल, पार्क, औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार, सार्वजनिक सुविधाएं, अन्य सामुदायिक सुविधाएं, ट्रक टर्मिनल, जन उपयोगी सुविधाएं इत्यादि प्रस्तावित की गई हैं। योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 345 हैक्टेयर है। इस क्षेत्र की जनसंख्या 17,000 होने का अनुमान है।

(स) दादाबाड़ी योजना क्षेत्र

यह क्षेत्र दूदू- टोडारायसिंह सड़क के पश्चिम की ओर व प्रस्तावित रिंग रोड़ के मध्य का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पुरानी आबादी का आंशिक भाग, झालरा तालाब, पावर हाउस, विद्यमान महाविद्यालय, कब्रिस्तान, श्मशान, रामलीला मैदान, दशहरा मैदान, सीमेन्ट पाइप फैक्ट्री डिग्गी वालों की छतरियाँ आदि सम्मिलित हैं। नये क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्र, नगरीय स्तर का वाणिज्यिक केन्द्र, राजकीय कार्यालयों, स्टेडियम, प्रबन्धन महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, नगरीय स्तर का पार्क, हॉस्पिटल, बस स्टैण्ड,

सामुदायिक व्यापारिक केन्द्र, अन्य सामुदायिक सुविधाओं एवम सार्वजनिक सुविधाएं इत्यादि प्रस्तावित किये गये हैं। इस योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 450 हैक्टेयर है। इस क्षेत्र की जनसंख्या 16,000 होने का अनुमान है।

(द) परिधि नियन्त्रण पट्टी

नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर तथा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र की सीमा के मध्य अनियन्त्रित विस्तार एवं अनियोजित विकास को करने के लिए परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की गई है। परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित ग्रामीण बस्तियों का विकास नियमित व नियोजित रूप से हो, इसके लिए प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। ग्रामीण बस्तियों का विकास सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा अपने नियंत्रण एवं अधिकार क्षेत्र में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 142 के अन्तर्गत किया जा सकेगा। परिधि नियंत्रण पट्टी में कृषि सेवा केन्द्र, राज्य मार्ग सुविधा केन्द्र, ग्रामीण आबादी विस्तार, डेयरी एवं अवशीतन केन्द्र, पौधशालाएं, रिसोर्ट, फार्म हाउस, मौटेल्स, कृषि आधारित लघु उद्योग जैसे गिट्टी, क्रेशर, ईट एवं चूना भट्टा इत्यादि अनुज्ञेय होंगे। कस्बे के भावी समेकित विकास की दृष्टि से परिधि नियंत्रण पट्टी का अहम महत्व रहेगा। इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 11743 हैक्टेयर है।

5

भू-उपयोग योजना

मास्टर प्लान में क्षितिज वर्ष 2031 के लिए विभिन्न भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सर्वेक्षणों द्वारा एकत्रित सूचनाओं, वर्तमान विकास की प्रवृत्ति, भौतिक अवरोध, जनसंख्या वृद्धि दर, व्यावसायिक संरचना, परिसंचरण व्यवस्था तथा भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कस्बे के भावी विकास की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसे प्रस्तावित भू-उपयोग योजना मानचित्र के रूप में रूपान्तरित किया गया है। मालपुरा कस्बे के मास्टर प्लान का उद्देश्य कस्बे को सन्तुलित, एकीकृत एवं सुनियोजित विकास की दिशा प्रदान करना है। इस प्रकार भू-उपयोग योजना विशिष्ट क्रिया-कलापों के चयन और उनके चरणबद्ध विकास का एक दस्तावेज हैं।

प्रस्तावित भू-उपयोग योजना में विभिन्न नगरीय भू-उपयोगों हेतु उपयुक्त जनसंख्या घनत्व के मानदण्डों का आंकलन कर क्षितिज वर्ष 2031 में विभिन्न उपयोगों के प्रयोजनार्थ कुल आवश्यक क्षेत्रफल आंकलित किया गया है। क्षितिज वर्ष 2031 के लिए विभिन्न भू-उपयोगों हेतु कुल 878.89 हैक्टेयर भूमि विकास योग्य एवं 1137 हैक्टेयर भूमि नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित की गई है। क्षितिज वर्ष 2031 तक प्रस्तावित विकास योग्य क्षेत्र में से 50.14 प्रतिशत आवासीय, 4.32 प्रतिशत वाणिज्यिक, 7.02 प्रतिशत औद्योगिक, 2.18 प्रतिशत सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी, 13.97 प्रतिशत सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक, 4.50 प्रतिशत आमोद प्रमोद एवं 17.87 प्रतिशत परिसंचरण उपयोग के अन्तर्गत भूमि प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित भू-उपयोग 2031 को तालिका 14 में दर्शाया गया है।

तालिका-14
प्रस्तावित भू-उपयोग, मालपुरा 2031

क्र. सं.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आवासीय	440.65	50.14	38.75
2.	वाणिज्यिक	37.98	4.32	3.34
3.	औद्योगिक	61.73	7.02	5.43
4.	सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी	19.12	2.18	1.68
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	122.75	13.97	10.80
6.	आमोद-प्रमोद	39.55	4.50	3.48
7.	परिसंचरण	157.11	17.87	13.82
कुल विकास योग्य क्षेत्र		878.89	100.00	77.30
8.	तालाब, नालें	77.77	—	6.84
9.	कृषि भूमि/ नर्सरी	180.34	—	15.86
कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र		1137.00	—	100.00

5.1 आवासीय :-

5.1 (1) आवासन

नियोजन की अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक नगरीय इकाई को स्वावलम्बी समूहों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें सबसे छोटे चरण को भारतीय परिवेश में मौहल्ला कहा जाता है। ऐसे मौहल्लों में सामान्यतः 50-100 परिवार निवास करते हैं। इन मौहल्लों में पारिवारिक आत्मीयता, व्यक्तिगत एवं आपसी सम्बन्धों की प्रगाढ़ता बनी रहती है। कुल मौहल्लों के समूहों को मिलाकर बनी बस्तियों को योजना इकाई कहा जाता है, जिसकी आबादी 1000-2000 होती है। ऐसी योजना के केन्द्रीय स्थल पर प्राथमिक विद्यालय एवं वाणिज्यिक सुविधा के रूप में छोटी दुकानें, लघु उद्यान, चिकित्सा सुविधा आदि उपलब्ध होती है। इस प्रकार से चार से पाँच योजना इकाइयां मिलकर एक आवासीय योजना क्षेत्र बनता है। ऐसे प्रत्येक आवासीय योजना क्षेत्र में एक माध्यमिक विद्यालय, स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र, सार्वजनिक उद्यान और अन्य सामुदायिक सुविधाओं का प्रावधान होता है। इस प्रकार मालपुरा नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की विभिन्न योजना क्षेत्रों में बांटा गया है। स्थानीय स्तर की विभिन्न सुविधाएं जैसे प्राथमिक विद्यालय, औषधालय, उद्यान, खेल के मैदान, शॉपिंग सेन्टर एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं का प्रावधान, मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप विस्तृत योजनाएं बनाकर

किया जाएगा। मालपुरा कस्बे का आवासीय घनत्व वर्ष 2031 में लगभग 132 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर होने का अनुमान है।

क्षितिज वर्ष 2031 तक अनुमानित 60,000 जनसंख्या के लिए भू उपयोग योजना में आवासीय भूमि प्रस्तावित की गई है। जो कि कुल विकास योग्य क्षेत्र का 50.14 प्रतिशत है। भू उपयोग योजना मानचित्र में, आवासीय क्षेत्रों के समीप कार्य केन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं। नगर के विकास की दिशा को ध्यान में रखते हुए जयपुर सड़क के उत्तर व दक्षिण दिशा में केकड़ी सड़क के उत्तरी व दक्षिणी दिशा में आवासीय क्षेत्र एवं सुविधाएं प्रस्तावित की गई हैं। इनके पास ही राजकीय कार्यालय, चिकित्सा, शैक्षणिक, वाणिज्यिक एवं सामुदायिक सुविधाएं प्रस्तावित की गई हैं। इसी प्रकार रिंग रोड के सहारे आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं जो इस क्षेत्र में प्रस्तावित वाणिज्यिक गतिविधियों में कार्यरत लोगों के आवास स्थल के रूप में विकसित किये जाएंगे। रीको औद्योगिक क्षेत्र एवं कृषि उपज मण्डी के समीपस्थ क्षेत्र में आवासीय उपयोग प्रस्तावित किया गया है। आवासीय प्रस्तावों में यह प्रयास किया गया है कि कार्यस्थलों में कार्यरत लोगों को समीपस्थ क्षेत्र में आवासीय सुविधा उपलब्ध हो ताकि कार्य करने के लिए अधिक दूर नहीं जाना पड़े।

प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों के लिये दो प्रकार के आवासीय घनत्व क्रमशः 125 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर से कम एवं 125 से अधिक व्यक्ति प्रति हैक्टेयर प्रस्तावित किये गये हैं। कस्बे के आवासीय क्षेत्र में चल रहे उद्योगों को, औद्योगिक क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। इस कारण विद्यमान छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयों को प्रस्तावित भू उपयोग योजना मानचित्र में नहीं दर्शाया गया है।

आवासीय उपयोग समुदाय की एक प्राथमिक आवश्यकता है और इसके अंतर्गत सार्वधिक नगरीय भूमि की आवश्यकता होती है। यह प्रस्तावित किया जाता है कि नगर पालिका, भू-उपयोग योजना के अनुसार आवासीय योजनाएं तैयार कर समाज के कमजोर वर्गों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों से ऋण सुविधा उपलब्ध कराए। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी राजस्थान अफोडेबल हाऊसिंग पॉलिसी के तहत आवास निर्मित करवा कर उपलब्ध करवाएं। वर्तमान में चल रही योजनाओं के अतिरिक्त स्थानीय निकाय को भू-खण्ड विकास के कार्यक्रमों को अपने हाथ में लेना चाहिए ताकि व्यवस्थित क्रम में लोगों की आवासीय माँग को पूरा किया जा सके।

5.1 (2) इनफॉर्मल सेक्टर के लिए आवास:

नगर के पुर्नस्थापना एवं पुर्नविकास के द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में नवीनीकरण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जायेगा। पुर्नस्थापना कार्यक्रम उन क्षेत्रों के लिये चलाया जायेगा जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और महत्वपूर्ण स्मारकों या मानव के लिए खतरा बन सकते हैं। पुर्नविकास का कार्य उन क्षेत्रों के लिये किया जायेगा जहाँ

झुग्गी-झोपड़ियाँ स्थापित हो चुकी हैं और जिन्हें हटाया जाना सम्भव नहीं है। कच्ची-बस्ती क्षेत्रों में सुधार और उनके पुर्नविकास पर विशेष ध्यान दिया जावेगा। ऐसी योजना बनाते समय यह प्रयास किया जाए कि विस्थापन कम से कम हो। ऐसी योजना में पर्यावरण सुधार एवं मूलभूत नागरिक सुविधाएं जैसे रोशनी, जलापूर्ति, सार्वजनिक शौचालय, सड़कें आदि की समुचित व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है।

5.2 वाणिज्यिक

मालपुरा अपने पृष्ठ क्षेत्र के लिए वाणिज्यिक और व्यापार के एक प्रमुख केन्द्र के रूप में प्राचीन समय से ही पहचान बनाए हुए है। यह अनुमान है कि आगे भी नगर में वाणिज्यिक गतिविधियां विकसित होने की सम्भावना रहेंगी। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2031 तक कस्बे के विभिन्न वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक संस्थानों में लगभग 4846 व्यक्ति कार्यशील होंगे जो कुल कार्यशील व्यक्तियों का 25 प्रतिशत होगा। इन सुविधाओं का वितरण इस प्रकार किया गया है कि आवासीय क्षेत्रों से वाणिज्यिक केन्द्रों तक आवागमन की दूरी को न्यूनतम किया जा सके। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए पदानुक्रम रूप में वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रस्तावित किया है।

वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत कुल क्षेत्र 37.98 हैक्टेयर है, जो कुल प्रस्तावित विकास योग्य क्षेत्र का 4.32 प्रतिशत होगा। स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र, विशिष्ट एवं थोक बाजार, वर्तमान में संचालित भण्डारण एवं गोदाम आदि प्रस्तावित भू-उपयोग योजना मानचित्र में दर्शाये गये हैं। नगर में विस्तृत योजना व सेक्टर प्लान बनाते समय विभिन्न प्रकार की दुकानें, सर्विस सेन्टर इत्यादि प्रस्तावित किये जा सकेंगे। भू उपयोग योजना में 5 स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्रों (सी.सी.) का प्रावधान किया गया है तथा उसके अतिरिक्त 5 स्थलों पर शॉपिंग सेन्टर विकसित किये जाने का प्रावधान रखा गया है। प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों के विवरण को तालिका-15 में दर्शाया गया है।

तालिका-15

प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, मालपुरा 2031

क्र. सं.	विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1.	विद्यमान शहरी केन्द्र एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां	18.92
2.	स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र (सी.सी.) एवं शॉपिंग सेन्टर	10.51
3.	विशिष्ट एवं थोक बाजार	5.45
4.	भण्डारण एवं गोदाम	3.10
	कुल योग	37.98

5.2 (1) विद्यमान शहरी केन्द्र एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां

कस्बे के आन्तरिक भाग एवं प्रमुख मार्गों पर विद्यमान वाणिज्यिक गतिविधियां मालपुरा के दैनिक वाणिज्यिक क्रियाकलापों का एक मुख्य केन्द्र है। इस सघन विकसित क्षेत्र में और अधिक विस्तार की सम्भावना नहीं है। अतः यह क्षेत्र पुराने शहर के मुख्य वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में अपनी सतत सेवाएं प्रदान करता रहेगा तथा कस्बे के मुख्य खुदरा व्यापार केन्द्र के रूप में यथावत बना रहेगा ।

वर्तमान में कस्बे के आन्तरिक भाग में कार्यरत थोक व्यापारिक केन्द्र जैसे— सब्जी मण्डी, फल मण्डी इत्यादि के लिए घाटी सड़क पर भूमि प्रस्तावित कर स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। कृषि उपज मण्डी का क्षेत्र वर्ष 2031 तक अपनी सेवाओं के लिए पर्याप्त है। यातायात की दृष्टि से कस्बे का आन्तरिक भाग व्यस्तम क्षेत्र है तथा यहाँ कोई ट्रक स्टैण्ड एवं गोदाम की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। सब्जी, फल इत्यादि व्यावसायिक गतिविधियां स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्रों में भी नियोजित तरीके से समायोजित की जाएगी। सुनियोजित योजना बनाकर नये परिसर को भी विकसित किया जाना प्रस्तावित है। विद्यमान शहरी केन्द्र एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों एवं शॉपिंग सेन्टर हेतु 18.92 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित है।

5.2 (2) स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र (सी.सी.) एवं शॉपिंग सेन्टर

वाणिज्यिक गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण करने एवं क्षेत्र के भविष्य की खुदरा बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से 10.51 हैक्टेयर भूमि पर स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र एवं शॉपिंग सेन्टर, प्रस्तावित किये गये हैं, जो कि आवासीय क्षेत्रों के समीप हैं। स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्रों में से एक डिग्गी सड़क पर दूसरा हाथगी सड़क पर तीसरा चिकित्सालय के सामने प्रस्तावित किया गया है। इनको प्रस्तावित भू उपयोग योजना मानचित्र 2031 में दर्शाया गया है।

उक्त प्रस्तावित, स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र कस्बे के विद्यमान एवं प्रस्तावित विकसित क्षेत्रों की जनसंख्या को अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। इनके अन्तर्गत खुदरा एवं थोक दुकानें, वाणिज्यिक कार्यालय, सामुदायिक सभागार, होटल, पेट्रोल पम्प इत्यादि की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इससे नागरिकों को मुख्य नगर के आन्तरिक केन्द्रों में जाने की आवश्यकता नहीं रहेंगी।

5.2 (3) विशिष्ट एवं थोक व्यापार

कस्बे में लोहा, लकड़ी एवं भवन सामग्री इत्यादि के थोक व्यापार की सम्भावित मांग को पूरा करने की दृष्टि से 5.45 हैक्टेयर भूमि, औद्योगिक क्षेत्र के पूर्व में रिंग रोड

पर प्रस्तावित की गई है। यह प्रस्ताव वस्तुओं के विस्तृत पैमाने पर लदान एवं भारी यातायात के कुशल संचालन को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। कृषि उत्पादों के थोक व्यापार का कार्य विद्यमान कृषि मण्डी प्रांगण में यथावत जारी रहेगा।

5.2 (4) भण्डारण एवं गोदाम

कस्बे की औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्तर की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए भण्डारण एवं गोदाम हेतु उपयुक्त स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। भू-उपयोग योजना में रीको औद्योगिक क्षेत्र के पूर्व में व प्रस्तावित रिंग रोड के दक्षिण में इसका प्रावधान किया गया है जो रीको क्षेत्र व रिंग रोड के साथ विकसित होने वाली औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। यहाँ पर औद्योगिक उत्पाद इत्यादि के भण्डारण की सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इस उपयोग के अन्तर्गत कुल 3.10 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.3. औद्योगिक

मालपुरा में पिछले दशक में तेल मिल, पशु आहार, आटा मिल प्लास्टिक व सीमेन्ट के पाइप आदि अनेक उद्योगों की स्थापना हुई है। दूदू सड़क के पूर्व व जयपुर सड़क के उत्तर में रीको ने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है। औद्योगिक विकास हेतु प्रदत्त विभिन्न सरकारी छूट के चलते विकास की यह प्रवृत्ति आगामी वर्षों में भी जारी रहने की सम्भावना है। औद्योगिक इकाइयां, रीको औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन कर रही हैं, इसके अतिरिक्त मण्डी के पश्चिम में एवं जयपुर सड़क पर अव्यवस्थित एवं अनियोजित रूप से भी कुछ इकाइयां कार्यरत हैं। कुछ औद्योगिक इकाइयां जो अव्यवस्थित रूप से नगर के विभिन्न भागों में स्थापित हैं, उन्हें, नियोजित औद्योगिक क्षेत्र में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित रिंग रोड के दक्षिण में व औद्योगिक क्षेत्र के उत्तर की ओर नियोजित औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार प्रस्तावित किया है। औद्योगिक उपयोग हेतु लगभग 15.65 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार कस्बे में प्रस्तावित औद्योगिक भू-उपयोग के लिए 61.73 हैक्टेयर भूमि हो जाएगी। जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 7.02 प्रतिशत है।

5.4 सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय

वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा माना जा सकता है कि भविष्य में भी यह कस्बा प्रशासनिक केन्द्र बना रहेगा। अतः भू उपयोग प्रस्तावों में इन सेवाओं के लिए पर्याप्त स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। वर्तमान में अधिकांश कार्यालय सरकारी भवनों में अलग अलग स्थलों पर कार्यरत हैं। योजना का उद्देश्य जनसाधारण को राजकीय कार्य के लिए एक ही स्थान पर सरकारी सेवा उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है। सरकारी एवं

अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों हेतु लगभग 9.22 हैक्टेयर भूमि अजमेर सड़क पर प्रस्तावित की गई है।

इस प्रकार इस प्रयोजनार्थ कस्बे में योजना अवधि 2031 तक विद्यमान एवं प्रस्तावित क्षेत्र दोनों को मिलाकर 19.12 हैक्टेयर भूमि का प्रावधान रखा गया है जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 2.18 प्रतिशत होगा।

5.5 आमोद-प्रमोद

किसी भी कस्बे में उद्यान एवं खुले स्थल पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मालपुरा में उद्यान एवं खेल के मैदानों का अभाव है। वर्तमान में खेल का मैदान जयपुर सड़क पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल के पास है। स्थानीय स्तर एवं नगरीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की मनोरंजन सुविधाओं का प्रावधान करने हेतु पार्क एवं खुले स्थानों का युक्तिसंगत रूप से प्रावधान किया गया है। अजमेर सड़क पर महाविद्यालय के सामने स्टेडियम हेतु 9.7 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। झालरा तालाब के पास, केकड़ी सड़क व बम्ब तालाब के उत्तर में पार्क हेतु भूमि चिन्हित की गई है। कस्बे के स्टेडियम में आयोजित होने वाले मेले जैसे दशहरा मेला, उद्योग मेला, खादी मेला, हाट बाजार तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये जा सकेंगे। यहाँ प्रतिवर्ष श्योतम्बर जैन समाज का, बड़ा मेला आयोजित होता है। तालाब व इसके आस पास का क्षेत्र पार्क के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थलों पर उद्यान हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है। विस्तृत आवासीय योजनाएं तैयार करते समय उनमें अन्य स्थानीय स्तर के उद्यानों के लिए उचित प्रावधान रखा जाने का प्रस्ताव है। इस उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित एवं विद्यमान को मिलाकर कुल 39.55 हैक्टेयर भूमि रखी गई है, जो कि कुल विकास योग्य क्षेत्र का 4.50 प्रतिशत है।

5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएँ

कस्बे का एकीकृत विकास करने के लिए शैक्षणिक, चिकित्सा, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों और सार्वजनिक सेवाओं जैसी सुविधाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाना आवश्यक है। इन सुविधाओं हेतु स्थलों का प्रावधान आवासीय क्षेत्रों के वितरण, क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं और भविष्य में विकास की सम्भवनाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जाना चाहिए। इस भू-उपयोग प्रयोजनार्थ 122.75 हैक्टेयर भूमि का प्रावधान किया गया है। जो कि कुल विकास योग्य क्षेत्र का 13.97 प्रतिशत है।

5.6 (1) शैक्षणिक सुविधाएं

मालपुरा कस्बे में जनसंख्या की वृद्धि के अनुरूप शैक्षणिक सुविधाओं का प्रावधान किया जाना भविष्य में शिक्षण सुविधाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केकड़ी सड़क के उत्तर की ओर व विद्यमान कॉलेज के दक्षिण में व्यावसायिक महाविद्यालय हेतु, जयपुर सड़क के दक्षिण की ओर हॉस्पिटल के पास बालिका महाविद्यालय हेतु, भूमि प्रस्तावित की गई है। इसके अतिरिक्त उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु भी पर्याप्त स्थलों के लिए भूमि प्रस्तावित की गई है। मालपुरा में वर्ष 2031 के लिए अनुमानित जनसंख्या 60,000 के लिए आवश्यक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं सीनियर सैकण्डरी विद्यालय की संख्या आंकलित की गई है। इस प्रयोजनार्थ कुल 23.85 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। इस नगर की अनुमानित शैक्षणिक संरचना 2031 को तालिका 16 में दर्शाया गया है।

तालिका-16

अनुमानित शैक्षणिक संरचना, मालपुरा -2031

क. स.	विद्यालय स्तर	आयु वर्ग	विद्यालय जाने योग्य विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या	अनुमानित विद्यालयों की संख्या	विद्यार्थियों की औसत संख्या
1.	प्राथमिक विद्यालय	6-10	9674	20	484
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	11-13	7739	21	369
3.	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय	14-17	6450	12	538
	योग		23863	53	450

5.6 (2) चिकित्सा सुविधाएं

मालपुरा कस्बे में उपलब्ध चिकित्सा सेवाएं अपर्याप्त हैं। कस्बे में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, जो कि भीड़भाड़ वाले इलाके में संचालित है। इसको बम्ब तालाब के पूर्व में स्थानान्तरण किये जाने हेतु भवन का कार्य निर्माणाधीन है। कस्बे की अनुमानित जनसंख्या एवं कस्बे की स्थिति के सन्दर्भ में इस नगर में केकड़ी सड़क पर, औद्योगिक

क्षेत्र के पूर्व में एवं डिग्गी सड़क के पश्चिम में डिस्पेंसरी हेतु भूमि प्रस्तावित है। निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भी विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। नये पशु चिकित्सालय के लिए औद्योगिक क्षेत्र के पूर्व में भूमि प्रस्तावित है। इस प्रयोजनार्थ कुल 10.49 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.6 (3) सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल

मालपुरा कस्बे में धार्मिक स्थल सघन जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में स्थित है। विशिष्ट दिनों में ही यहाँ त्यौहार मनाये जाते हैं। नगर में ऐतिहासिक महत्व के बम्ब तालाब में शिव मन्दिर, फलौदी बालाजी, घाटी के बालाजी, दादा बाड़ी जैन मन्दिर, जामा मस्जिद, कालू खां के महलों की मस्जिद आदि हैं, जिनका संरक्षण व विकास किया जाना प्रस्तावित है। पर्यावरण सुधार के लिए यहाँ पौधा रोपण भी किया जाना प्रस्तावित है। ऐतिहासिक स्मारक में डिग्गी ठिकाने की छतरियों को संरक्षण भी प्रस्तावित है।

5.6 (4) अन्य सामुदायिक सुविधाएं

अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए कस्बे में प्रत्येक योजना क्षेत्रों में भूमि प्रस्तावित की गई है। इनका कुल क्षेत्रफल 14.57 हैक्टेयर है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए रंगमंच, पुस्तकालय, तरणताल, सामुदायिक केन्द्र आदि मनोरंजन की सुविधाओं का प्रावधान इस विकास योजना का अभिन्न अंग हैं। इन सुविधाओं की शिक्षा व खेलकूद में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आवासीय क्षेत्रों का वितरण, विकास के घनत्व, क्षेत्र की स्थानीय विशेषताओं और भविष्य के विकास की सम्भावनाओं आदि को दृष्टिगत रखते हुए इन सुविधाओं हेतु स्थल प्रस्तावित किये जायेंगे।

सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के लिए मास्टर प्लान क्रियान्वयन के समय सेक्टर प्लान बनाते समय प्रत्येक आवासीय क्षेत्र में प्रस्तावित सामुदायिक केन्द्र में इन सामाजिक/सांस्कृतिक भवनों के लिए पर्याप्त भूमि के प्रावधान रखे जायेंगे, जिससे इन स्थलों में विभिन्न वर्गों के लिए धर्मशाला, सूचना केन्द्र, सामुदायिक भवन, रंगमंच आदि सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाओं हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध हो सकेंगे।

5.6 (5) जनोपयोगी सुविधाएं

पेयजल की आपूर्ति, जल-मल निकास व्यवस्था और विद्युत व्यवस्था नगरीय जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। नगर की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, इन सेवाओं पर अत्यधिक भार बढ़ गया है। यह आवश्यक है कि इन समस्याओं के हल करने की दिशा में तुरन्त ध्यान दिया जाए। जनोपयोगी सुविधाओं के लिए मानदण्डों के अनुसार भूमि आरक्षित रखी गई है जो कि प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र में दर्शायी गई है।

5.6 (5) (अ) जलापूर्ति

वर्तमान में उपलब्ध जल संचय क्षमता, उपलब्ध पेयजल स्रोतों तथा जल वितरण व्यवस्था का उनकी पूर्ण क्षमता में उपयोग किया जाना आवश्यक है। साथ ही भविष्य में बढ़ने वाली आवश्यकताओं के अनुरूप इनमें अभिवृद्धि किये जाने की भी आवश्यकता है। पेयजल की अतिरिक्त आवश्यकताओं को अतिरिक्त ट्यूबवैलों एवं जलाशयों के निर्माण, और वितरण व्यवस्था में सुधार कर पूरा किया जाना प्रस्तावित है। जहाँ कहीं भी सम्भावनाएं विद्यमान हों, वहाँ वर्तमान में उपलब्ध व्यवस्था का विस्तार किया जा सकता है। कस्बे की पेयजल की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि करनी होगी। यह सुझाव दिया जाता है कि भावी जनसंख्या की आवश्यकता के अनुरूप जल आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग एक विस्तृत योजना तैयार करे। नगर में वर्तमान में जनोपयोगी पर्याप्त सेवाओं के लिए स्थित स्थलों के अतिरिक्त नगर के विभिन्न भागों में पर्याप्त जनोपयोगी सेवाओं हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये हैं जिनका आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाएगा है।

5.6 (5) (ब) जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन :-

नगर में जल मल निस्तारण प्रणाली की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। नगरपालिका द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नालियों का निर्माण भी टुकड़ों में करवाया जाता है। जिससे सुव्यवस्थित रूप से पानी की निकासी नहीं हो रही है। नालियों पर अतिक्रमण पानी की निकासी के लिए बाधक बनी हुई है। शहर के गन्दे पानी के निकास व नालियों के निर्माण की कोई नियमित योजना नहीं बनी हुई है। शहर में खुली नालियां होने से गन्दा पानी सड़कों पर बहता है, जिससे वातावरण और आवागमन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा स्थानीय नगर पालिका एवं अन्य सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर सम्पूर्ण मालपुरा नगरीय क्षेत्र के लिए एक एकीकृत जल एवं मल निकास योजना तैयार किया जाना प्रस्तावित है। ऐसी योजना शहर की आकृति, बसावट एवं ढलान तथा विभिन्न दिशाओं के विकास स्तरों को ध्यान में रख कर तैयार की जायेगी। कूड़े करकट और गन्दगी के ढेरों को ठीक प्रकार से साफ कराने की व्यवस्था के साथ-साथ, वातावरण और रहने की जगह को स्वच्छ रखने का कार्य होना आवश्यक है। इस गन्दगी और कूड़ा करकट के निस्तारण की जगह शहर से दूर होनी चाहिए। स्थानीय नगरपालिका द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र, तालाबों आदि पर्यावरण मानकों को ध्यान में रखते हुए परिधि नियंत्रण क्षेत्र में उपयुक्त स्थल का चयन कर व्यवस्थित कचरा निस्तारण स्थल विकसित किया जाना चाहिए। पुर्नचक्रण किये जा सकने योग्य कचरे को पृथक कर इसका पुनः उपयोग करने हेतु भी

प्रयास किया जाना चाहिए। नगरपालिका प्रशासन द्वारा शहर की सड़को पर से गन्दगी के ढेरों को साफ करने के लिए तकनीकी यन्त्रों को क्रय किया जाना प्रस्तावित है। पुराने बम्ब तालाब व झालरा तालाब में, दूषित जल एकत्रित होता है। इससे नगर में होने वाले प्रदूषण के बचाव के लिए तालाबों को गन्दे पानी से बचाना प्रस्तावित है।

5.6 (5) (स) विद्युत आपूर्ति

कस्बे की जनसंख्या तथा आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत की मांग भी बढ़ेगी। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड इस कस्बे को उपयुक्त मात्रा में बिजली उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे ताकि इसकी प्रभावी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। सड़क पर स्थित जी.एस.एस. के विस्तार का प्रावधान किया गया। इस प्रयोजनार्थ नगर के विभिन्न भागों में स्थलों को आरक्षित किये गये हैं ताकि आवश्यकतानुसार इनका विद्युत संयंत्रों के लिए उपयोग किया जा सके।

5.6 (6) श्मशान एवं कब्रिस्तान

वर्तमान में स्थित श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थलों को यथावत रखा गया है। इन श्मशानों एवं कब्रिस्तानों के चारों ओर सघन पौधारोपण किया जाना प्रस्तावित है। कस्बे की बढ़ती हुई जनसंख्या एवं भावी विकास को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थल का चयन किया जा सकता है।

5.7 परिसंचरण

किसी भी नगर की परिसंचरण व्यवस्था वहाँ के भावी भू-उपयोग प्रस्तावों का अभिन्न अंग होती है। परिसंचरण हेतु प्रमुख मार्गों की चौड़ाई, पार्किंग व्यवस्था एवं यातायात के आवागमन को इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है, ताकि स्थानीय जनता के आवागमन के लिये उत्कृष्ट यातायात व्यवस्था संचालित की जा सकें। कस्बे की विभिन्न सड़कों के मार्गाधिकार, वहाँ पर होने वाले यातायात के अनुरूप निर्धारित किये गये हैं। मालपुरा नगर अपने पश्य क्षेत्र के लिये एक सेवा केन्द्र की भूमिका अदा करता रहेगा। नगर में उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के विस्तार की निकट भविष्य में प्रबल संभावनाएं हैं, अतः यहाँ के लिये अपने पश्य क्षेत्र से वस्तुओं एवं यात्रियों के परिवहन एवं आवागमन हेतु कुशल यातायात व्यवस्था होना आवश्यक है।

5.7 (1) प्रस्तावित यातायात संरचना

कस्बे की यातायात व्यवस्था का सुगम संचालन होना अतिआवश्यक है। वर्तमान में अजमेर, केकड़ी, टोड़ारायसिंह, घाटी, डिग्गी, जयपुर व दूदू से आने व जाने वाला यातायात शहर से होकर गुजरता है साथ ही बस स्टैण्ड भी शहर के मध्य होने के कारण यातायात सुगम नहीं रहता है। औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने व कृषि उपज मण्डी के कारण भी यातायात बाधक रहता है। सुगम यातायात संचालन हेतु विभिन्न मार्गों की प्रस्तावित मानक चौड़ाई तालिका 17 में दर्शाई गई है।

तालिका-17

विभिन्न मार्गों को प्रस्तावित मानक चौड़ाई मालपुरा-2031

क्र. सं.	प्रस्तावित सड़क का विवरण	प्रस्तावित मार्गाधिकार (मीटर में)
1.	बाई पास / रिंग रोड़ ठलम ँ ६ त्यदह त्वंक	60 मीटर (300 फीट)
2.	प्रमुख सड़कें ।तजमतपंस त्वंके	30 मीटर (100 फीट)
3.	उपप्रमुख सड़कें नइ ।तजमतपंस त्वंके	24 मीटर (80 फीट)
4.	मुख्य सड़कें डंरवत त्वंके	18 मीटर (60 फीट)
5.	अन्य महत्वपूर्ण सड़कें व्जीमत प्चवतजंदज त्वंके	18 मीटर से कम (60 फीट से कम)

कस्बे की यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु विभिन्न स्तर के मार्गों का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित रिंग रोड़ पर नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर 15 मीटर चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित की गई है।

5.7 (1) (अ). सड़कों का मार्गाधिकार एवं सुधार

वर्तमान में नगर में सड़कों के मार्गाधिकार में जगह-जगह अतिक्रमण हैं जिससे यातायात प्रभावित होता है। नगर में बेहतर एवं सुगम यातायात के लिए विभिन्न सड़कों

का प्रस्ताव करते हुए उनका मार्गाधिकार निर्धारित किया गया है। जिसको तालिका 18 में अंकन किया गया है।

**तालिका 18 मालपुरा
विद्यमान व प्रस्तावित सड़कों का मागाधिकार-2031**

क्रम सं.	सड़को का विवरण	न्यूनतम मार्गाधिकार (मीटर में)
1	प्रस्तावित रिंग रोड राज्य राजमार्ग 12 व 37 ट्रज को मिलाने वाली सड़क	60
2	रिंग रोड से बाहर केकड़ी, टोडारायसिंह, जयपुर, दूदू को जाने वाली सड़के	60
3	दूदू-टोडारासिंह सड़क नगरीयकरण क्षेत्र तक	30
4	अजमेर-जयपुर सड़क नगरीय करण योजना क्षेत्र तक	30
5	अजमेर को जाने वाली सड़	30
6	घाटी को जाने वाली सड़क	30
7	डिग्गी को जाने वाली सड़क	30
8	प्रस्तावित स्टेडियम से उत्तर की ओर जाने वाली प्रस्तावित सड़क	24
9	बम्ब तालाब से जयपुर रोड तक प्रस्तावित सड़क	24
10	रिंग रोड से केकड़ी सड़क को जोड़ने वाली सड़क	24
11	दूदू से डिग्गी रोड के मध्य एवं औद्योगिक क्षेत्र के उत्तर की ओर प्रस्तावित सड़क	24
12	औद्योगिक क्षेत्र में विद्यमान सड़कें	18
13	कॉलेज रोड से हाथगी को जाने वाली सड़क	18
14	कॉलेज रोड से केकड़ी की ओर जाने वाली सड़क	18
15	विद्यमान एवं प्रस्तावित मुख्य सड़कें	18

5.7 (1) (ब) प्रस्तावित चौराहा एवं चौराहा सुधार

कस्बे में विद्यमान मुख्य चौराहों व तिराहों का यथा सम्भव सुधार किया जाना प्रस्तावित है। भू-उपयोग योजना में चौराहों/तिराहों का विकास भी प्रस्तावित है, जिन्हें तालिका 19 में दर्शाया गया है।

तालिका-19
प्रस्तावित प्रमुख चौराहा विकास, मालपुरा -2031

क्र.सं.	चौराहा
1.	दूदू सड़क व प्रस्तावित रिंग रोड़ चौराहा
2.	जयपुर सड़क व प्रस्तावित रिंग रोड़ चौराहा
3.	टोडारायसिंह सड़क व प्रस्तावित रिंग रोड़ चौराहा
4.	केकडी सड़क व प्रस्तावित रिंग रोड़ चौराहा
5.	घाटी सड़क व प्रस्तावित रिंग रोड़ का चौराहा
6.	अजमेर सड़क व प्रस्तावित रिंग रोड़ चौराहा
7.	डिग्गी सड़क व प्रस्तावित रिंग रोड़ चौराहा
8.	सदरपुरा सड़क व प्रस्तावित रिंग रोड़ चौराहा
9.	जयपुर-दूदू सड़क तिराहा
10.	अजमेर-दूदू सड़क तिराहा
11.	केकडी-दूदू सड़क तिराहा

5.7 (1) (स) पार्किंग व्यवस्था

वाणिज्यिक क्षेत्रों, प्रमुख व्यापारिक संस्थानों, बैंकों, सार्वजनिक स्थलों आदि में पार्किंग में सुधार हेतु व्यवस्था प्रस्तावित है। नवीन विकसित क्षेत्रों के योजना प्लान बनाते समय पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे निरन्तर यातायात में बाधा उत्पन्न नहीं हो। कस्बे में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध वार्षिक मेले के लिए पार्किंग व्यवस्था, भू-उपयोग प्लान में मेले के लिए आरक्षित भूमि में किया जाना प्रस्तावित है।

5.7 (2) बस एवं ट्रक टर्मिनल

मालपुरा कस्बे में यात्रियों की सुविधा के लिए वर्तमान में जहाँ बस स्टैण्ड राज्य राजमार्ग 37 ए पर स्थित है। उक्त स्थल अपर्याप्त होने के कारण जयपुर सड़क एवं अस्पताल को जाने वाली सड़क के मध्य बस स्टैण्ड हेतु भूमि आरक्षित की गई है। परिवहन सुविधा की दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्र के पूर्व में व डिग्गी सड़क के पश्चिम में रिंग सड़क पर ट्रक टर्मिनल प्रस्तावित है। भण्डारण एवं गोदाम, थोक मण्डी व औद्योगिक क्षेत्र के समीप होने से वस्तुओं के लदान की दृष्टि से या उपयुक्त प्रस्तावित स्थल है। ट्रक स्टैण्ड में मरम्मत की दुकानें, ऑटोमोबाइल दुकानें, वाहन पार्किंग स्थल, बैंक, पेट्रोल पम्प, सर्विस स्टेशन आदि सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

5.8. परिधि नियंत्रण पट्टी

नगरीकरण योग्य क्षेत्र के बाहर अनियन्त्रित एवं अनियोजित विकास को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से नगरीकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की गई है। इसका उद्देश्य प्रस्तावित नगरीय विकास को नियोजित बनाये रखना है। परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित ग्रामीण बस्तियों का विकास नियंत्रित एवं नियोजित रूप से हो, इसके लिये प्रयास किये जाने आवश्यक है। ग्रामीण बस्तियों का विकास सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा अपने नियंत्रण एवं अधिकार क्षेत्र में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 142 के अन्तर्गत किया जा सकेगा। परिधि नियंत्रण पट्टी/क्षेत्र में कृषि सेवा केन्द्र, हाइवे सुविधा केन्द्र, ग्रामीण आबादी विस्तार, डेयरी एवं अवशीतन केन्द्र, पौधशालाएं, रिसोर्ट, फार्म हॉउस, मौटेल्स, वाटर पार्क, एम्यूजमेन्ट पार्क, दुग्धशाला, फलोद्यान, पौधशाला, मुर्गीपालन तथा अन्य प्राथमिक लघु उद्योग जैसे क्रेशर, ईट व चूना भट्टा, चमड़ा उद्योग इत्यादि अनुज्ञेय होंगे। इस उपयोग के अन्तर्गत 11743 भूमि प्रस्तावित है।

5.9 पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण

मालपुरा कस्बे के लिए पर्यावरण संरक्षण हेतु नालों के पास, बम्ब तालाब व झालरा तालाब के साथ उपलब्ध भूमि पर पौधारोपण किया जाना प्रस्तावित है। पर्यावरण प्रदूषण एक व्यापक समस्या है। और यह मानव जाति के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। पर्यावरण प्रदूषण से ओजोन परत कमजोर हो रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग अर्थात् धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का अन्धाधुन्ध दोहन यथा वृक्षों की कटाई, अत्यधिक भू-जल दोहन, अनियंत्रित खनन आदि से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है और भीषण गर्मी, अकाल, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोप बढ़ रहे हैं।

वृक्ष, प्राण वायु के भण्डार हैं। अतएव पर्यावरण सन्तुलन की दृष्टि से राजमार्ग के सहारे दोनों ओर 15-15 मीटर चौड़ी व रिंग रोड़ के सहारे बाहर की तरफ 15 मीटर चौड़ी पौधारोपण के लिए पट्टी रखे जाने का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त के अलावा प्रमुख सड़कों के सहारे-सहारे भी पौधारोपण की कार्यवाही की जाएगी। राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों, चिकित्सालयों व न्यायालय परिसरों में, औद्योगिक क्षेत्र, श्मशान भूमि ओरण, गोचर, वन भूमि, आदि क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। पर्यावरण संरक्षण के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित प्रयासों और प्रत्येक नागरिक को इसमें सहयोग एवं हिस्सेदारी या सह-भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

पानी के स्रोत सीमित है। बढ़ती जनसंख्या एवं शहरी करण के कारण शहरों में पानी की समस्या निरन्तर गहराती जा रही है। प्राचीन तालाबों, कुंडो, कुँओ आदि जल स्रोतों का संरक्षण वर्षा जल पुनर्भरण एवं पानी की पुनर्चक्रण से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। सभी सार्वजनिक अर्द्ध-सार्वजनिक व वनों, बड़े व्यावसायिक व आवासीय परिसरों में वर्षा जल पुनर्भरण संरचना का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है। गंदे पानी को वैज्ञानिक तरीकों से शुद्ध कर पुनः चक्रित कर बाग-बगीचों में उपयोग लिया जाना चाहिए। उपरोक्त हेतु स्थानीय निकाय द्वारा विशेष प्रयास किये जाने चाहिए।

6

मास्टर प्लान का क्रियान्वयन

मास्टर प्लान किसी नगर के विकास के सम्भावित अवसरों का चित्रण मात्र है और इसे तभी मूर्त रूप प्रदान किया जा सकता है जब इनका क्रियान्वयन करने के लिए शक्तिशाली कदम निर्धारित समय में उठाये जाएं। मालपुरा का मास्टर प्लान तैयार करते वक्त एक विवेक-सम्मत एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है। वर्तमान उपयोगों का कम से कम स्थान परिवर्तन का लक्ष्य रखा गया है। सामान्य स्तर की सुविधाएं और सेवाओं को पर्याप्त स्तर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। नगर में अच्छी सामुदायिक सुविधाएं विकसित करने एवं सार्वजनिक सुविधाओं में वृद्धि करने और मालपुरा को आवास एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से स्वास्थ्यकर स्थान बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही इस योजना को तैयार किया गया है।

मालपुरा कस्बे के मास्टर प्लान के सफल क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि इसको कार्य रूप में परिणित किया जाए। सम्बन्धित विभाग जो कि इसके क्रियान्वयन से जुड़े हुए हैं, मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप निरन्तर कार्यशील रहते हुए समयबद्ध एवं चरणबद्ध तरीके से कस्बे का विकास करें एवं यह भी आवश्यक है कि विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित रखते हुए विकास कार्यों में भागीदारी निभावे। विभागों की सहभागिता के साथ-साथ वित्तीय संसाधनों का प्रबन्धन, नागरिकों की सहभागिता, कानूनी प्रावधानों को लागू करना व आवश्यकतानुरूप तकनीकी मार्गदर्शन आदि घटक मास्टर प्लान प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूल आधार है।

6.1 वर्तमान आधार :

विद्यमान स्थानीय निकाय, मालपुरा, नगर पालिका का गठन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। यह अधिनियम स्थानीय निकाय को उतने समुचित अधिकार प्रदान नहीं करता है, जितने कि सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में विकास कार्यों को प्रभावपूर्ण तरीके से नियोजित किया जा सके। नगर में अन्य कई सार्वजनिक संस्थाएं भी कार्यरत हैं, जो अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में निर्धारित नियमों, विनियमों एवं मानकों के अनुसार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती हैं।

6.2 प्रस्तावित आधार :

मास्टर प्लान के लागू होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान की एक प्रतिलिपि नगरपालिका मालपुरा को भेजी जाएगी। इस प्रकार नगरपालिका, उक्त अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रति प्राप्त होने के पश्चात् कम से कम

दो स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रसारित करेगी कि मालपुरा के नगरीय क्षेत्र के विकास कार्य उक्त मास्टर प्लान के अनुसार ही किये जाएंगे।

इस सार्वजनिक सूचना की प्रतिलिपि नगरपालिका मालपुरा द्वारा राज्य एवं केन्द्र सरकार के समस्त विभागीय कार्यालयों को सूचनार्थ भेजी जाएगी। अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रतियां नगर के प्रमुख स्थलों यथा सूचना केन्द्र, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, नगरपालिका मालपुरा में आम जनता के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेंगी। आम जनता उक्त मास्टर प्लान की प्रति मय मानचित्रों के कार्यालय नगरपालिका मालपुरा से निर्धारित मूल्य पर क्रय कर सकेगी।

नगरपालिका मालपुरा मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप सफल क्रियान्वयन हेतु नगर नियोजन विभाग के सहयोग से विस्तृत प्लान तैयार करेगी। जलापूर्ति, जल-मल निकास, ठोस कचरा प्रबन्धन तथा शहर यातायात प्रबन्ध एवं सड़क विकास योजना सम्बन्धित विभागों द्वारा तैयार किये जाने प्रस्तावित हैं।

नगरपालिका मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार नगर नियोजन विभाग के परामर्श से वार्षिक एवं पंचवर्षीय परियोजनाएं तैयार कर क्रियान्वयन की कार्यवाही करेगी।

मास्टर प्लान क्रियान्वयन का दायित्व नगरपालिका मालपुरा का रहेगा जबकि क्रियान्वयन की निगरानी हेतु एक समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इस समिति के अध्यक्ष जिला कलक्टर, सदस्य अधिशासी अभियन्ता, स्थानीय निकाय, अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड तथा अधिशासी अधिकारी नगरपालिका मालपुरा होंगे, जबकि इसके सदस्य सचिव सम्बन्धित उप नगर नियोजक होंगे। इस निगरानी समिति को अधिकार होगा कि वे समिति के विस्तार हेतु विषय विशेषज्ञों को सहवर्तित सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकेंगे। उक्त समिति की कम से कम तीन माह में एक बैठक आयोजित की जाएगी। समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के अतिरिक्त दो सदस्यों की उपस्थिति बैठक हेतु अनिवार्य होगी। उक्त समिति द्वारा वर्ष में एक बार मास्टर प्लान के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट सरकार के नगरीय विकास विभाग को भिजवाई जाएगी।

दीर्घकालीन योजना की सफलता के लिए योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन दोनों ही स्तर पर समन्वय का विशेष महत्व है। स्थानीय निकाय के पास पर्याप्त अधिकारी, समुचित वित्तीय संसाधन और तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि यह एक विकास एवं समन्वय संगठन के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर सके अतः यह प्रस्तावित किया गया है कि स्थानीय निकाय को पर्याप्त मजबूती और समुचित अधिकार दिये जाएं। सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र की योजना और विकास क्रियाओं पर इसका नियंत्रण हो। इस दृष्टि से आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक उपाय निदेशक/आयुक्त स्थानीय निकाय विभाग के स्तर पर करने होंगे।

6.3 जन सहभागिता एवं जन सहयोग :

नगर का विकास अन्ततः लोगों की आशाओं एवं प्रेरणाओं पर निर्भर करता है। मास्टर प्लान में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वहां की जनता का पूर्ण सक्रिय सहयोग आवश्यक है। नागरिक जागरूकता ही नगर को सक्षम एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि कस्बे की जनता मास्टर प्लान में प्रस्तावित कार्यक्रमों को लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करे।

6.4 भू-उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति :

मालपुरा के मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोगों का निर्धारण सरकारी भूमि की उपलब्धता, रिक्त एवं विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है।

मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व में जारी की गई स्वीकृतियां/अनुमोदन (Commitments) को नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये योजना 2031 में समायोजित किये जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। यदि पूर्व में की गई किसी स्वीकृति का समायोजन नहीं हो पाया है और ऐसी स्वीकृति नगर नियोजन विभाग या नगर नियोजन विभाग की स्वीकृति/सहमति से जारी की गई है, तो उसे समायोजित माना जाएगा। यदि स्वीकृति नगर नियोजन विभाग की सहमति से जारी नहीं की गई है तो प्रकरण में नगर नियोजन विभाग के परीक्षणों उपरान्त नगर नियोजन विभाग की सिफारिश पर राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त समायोजित मानी जाएगी।

मानचित्र में नदी, नाले, तालाब, भराव क्षेत्र, जलाशय, डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन प्रचलित पद्धति से करने का प्रयास किया गया है तथापि यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया हो तो भी उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही मान्य होगी। इन नदी, नालों, जलाशयों इत्यादि में किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण/नियमन/रूपान्तरण नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या वे सूख गये हों। क्रियान्वयन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी।

प्रस्तावित जन सुविधाओं यथा—शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, खुले स्थल एवं जन उपयोगी सुविधाओं के विकास बाबत भूमि अवाप्त की जाए, जिससे नगर के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

6.5 योजना का क्रियान्वयन :

मालपुरा कस्बे के मास्टर प्लान में कस्बे के भावी नियोजित विकास हेतु आगामी वर्ष 2031 तक के लिए विभिन्न क्रियाकलापों हेतु प्रस्ताव रखे गये हैं। मास्टर प्लान की क्रियान्विति समयबद्ध, चरणबद्ध एवं उपलब्ध संसाधनों व तत्कालीन आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानीय निकाय पंचवर्षीय योजना बनाकर उसकी सफल क्रियान्विति करें। इस

प्रकार स्थानीय निकाय आगामी वर्षों के लिए विभिन्न चरणों में विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श कर एक कार्यकारी योजना तैयार करेगी तथा मास्टर प्लान की अनुवर्ती योजना के क्रम में विस्तृत योजना प्लान तैयार करवायेगी इस प्रकार विभिन्न चरणों में आवासीय, परिवहन, वाणिज्यिक व अन्य सुविधाओं आदि का विकास करवायेगी।

6.6 उपसंहार :

मास्टर प्लान भावी विकास की तस्वीर है, जिसकी सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है, जबकि इसमें प्रस्तावित कार्यक्रमों को कार्य रूप में परिणित किया जाए। इस योजना में आगामी वर्षों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ठोस कार्यक्रम भी सम्मिलित होते हैं। मालपुरा का मास्टर प्लान तैयार करते समय एक विवेक सम्मत एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है तथा सामान्य स्तर की सुविधाओं और सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। नगर में नई सुविधाएं विकसित करके, सार्वजनिक सुविधाओं में अभिवृद्धि करके और मालपुरा को आवास की दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही इस योजना को तैयार किया गया है।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959
अध्याय द्वितीय
मास्टर प्लान

1- राज्य सरकार की मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश करने की शक्ति:

- (1) राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कर, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जाएगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।
- (2) मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार, एक सलाहकार परिषद् का गठन कर सकेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और इतने सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार उचित समझे।

2- मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तु :

- (क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जाएंगे, जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाए तथा वह रीति उपदर्शित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है, और
- (ख) उस ढांचे के जिसमें विभिन्न जोन की सुधार योजनाएं तैयार की जाएं और आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आएगा।

3- अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया :

- (1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी, शासकीय रूप में कोई मास्टर प्लान तैयार करने के पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस प्रकाशित करके, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के सम्बन्ध में आक्षेप तथा सुझाव आमंत्रित किये जाएंगे, प्रकाशित करेगा।
- (2) ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि स्थित है, मास्टर प्लान के सम्बन्ध में अम्यावेदन करने हेतु उचित अवसर प्रदान करेगा।

- (3) ऐसे समस्त आक्षेपों, सुझावों तथा अभ्यावेदनों पर जो प्राप्त हुए हों, विचार करने के पश्चात् ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अंतिम रूप से मास्टर प्लान तैयार करेगा।
- (4) इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा किसी मास्टर प्लान के प्रारूप तथा उसकी अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और मास्टर प्लान तैयार करने से सम्बन्ध किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में उपलब्ध किये जा सकेंगे।

4— मास्टर प्लान का सरकार को प्रस्तुत किया जाना :

- (1) प्रत्येक मास्टर प्लान, तैयार किये जाने के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।
- (2) राज्य सरकार, मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी, जिसकी वह इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करें, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी।
- (3) राज्य सरकार, या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश देते हुए, उसे अस्वीकार कर सकेगी।

5— मास्टर प्लान के प्रवर्तन की तारीख :

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात् राज्य सरकार, यह बताते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बताते हुए जहां मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वोक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाशन की तिथि से प्रवर्तन में आ जाएगा।

राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण
**THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST (GENERAL) RULES,
1962**

[Notification No. F. 4 (32) LSG/A/59 dated 02.04.1962 published in the Rajasthan Gazette, Part IV-C,
Extraordinary dated 08.06.1962 page 118.]

In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959)] the State Government hereby makes the following
Rules, namely:-
RULES

1. Short title and Commencement:-

- (1) These may be called “The Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules 1962”.
- (2) These rules shall come into force upon their publication in the official Gazette.

2. Definitions:- In these rules, unless the subject or context otherwise requires:-

- (1) “Act” means The Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959).
- (2) “Trust” means a Trust as constituted under the Act,
- (3) “Section” means a Section of the Act,
- (4) Words and expressions used but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Manner of publication of Draft Master Plan and the contents thereof under section 5 (1):-

- ¹[(1) The Draft Master Plan prepared by the Officer or the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, shall be published by him by making a copy thereof available for inspection at the office of the Trust concerned and publishing a notice in the form ‘A’ in the official Gazette and in at least two popular daily newspapers having circulation in the area inviting suggestions and objection from every person with respect of the Draft Master Plan within a period of 30 days from the date of the publication of the said notice. If the officer or authority appointed under section under section 3 of the said Act is satisfied that response to the Draft Master Plan has been inadequate, this period may be extended further for a Maximum period of 30 days for enabling more persons to file their objections/suggestions with respect to the draft of the Master Plan]².
- (2) The notice referred to in sub-rule (i) together with a copy of the Draft Master Plan shall be sent by the Officer or the Authority to each of the Local Body operating the area included in the Master Plan.
- (3) The Draft Master Plan shall ordinarily consist of the following Maps, Plans and Documents, namely:-
 - a. Town Map showing General Layout of the roads and streets in the Town.
 - b. Base map showing the General existing land use pattern, such as Residential, Commercial, Industrial, Public and Semi-Public uses etc.

- c. Draft Master Plan showing broadly the proposed land use pattern in the urban area such as Residential, Commercial, Industrial, Public and Semi-Public uses etc.
- d. Written analysis and written statement to support the proposals.
- e. Any other maps, plans or matter which the Officer or the Authority deem fit or the State Government may direct the Officer or the Authority in this regard.

4. Approval of Master Plan by the State Government under section 6:-

- ¹[(1) After considering the objection, suggestions and representations which may be received by the Officer or the Authority appointed under Section 3 to prepare the Master Plan, the Officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council under Section 3 of the Act finalise the Master Plan and submit the same ²[if constituted] to the State Government for approval.
- (2) When the Master Plan has been approved by the State Government it shall publish in the Official Gazette, a notice in Form 'B' stating that the Master Plan has been approved and a copy thereof would be available in the office of the Trust/Municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day.”]

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:प.10(220)नविवि/3/2010

जयपुर, दिनांक: 27 अगस्त 2010

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर को मालपुरा (जिला टोंक) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है :-

क्र.सं.	ग्राम का नाम हिन्दी में	ग्राम का नाम अंग्रेजी में
1	मलपुरा	Malpura
2	चान्दसेन	Chand Sen
3	दौराई	Dorai
4	हाथगी	Hathgi
5	बृजलालनगर	Brijlal Nagar

राज्यपाल के आदेश से

-ह०/-

(पुरुषोत्तम बियाणी)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.10(220)नविवि / 3 / 2010

जयपुर, दिनांक : 16.04.2012

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27.08.2010 के द्वारा यथा अधिसूचित "मालपुरा (जिला-टोंक) के नगरीय क्षेत्र" के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2031 का अनुमोदन कर दिया है।

उक्त मास्टर प्लान की प्रति का अवलोकन नगर पालिका, मालपुरा के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

-ह0 / -

(प्रकाश चन्द शर्मा)

शासन उप सचिव-प्रथम